30वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report

2020-21

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
National Academy of Ayurveda
Dhanvantari Bhavan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), NEW DELHI – 110 026.
Phone: 011-25229753; 25228548; Fax: 011-25229753
E-mail: ravidyapeethdelhi@gmail.com Website : www.ravdelhi.nic.in

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

National Academy of Ayurveda

An Autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
National Academy of Ayurveda

30 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2020-21

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India)

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली – 110026
Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110026

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
1.	**प्रस्तावना**	1
2.	**विद्यापीठ के उद्देश्य**	1
3.	**समितियां**	2
	(i) शासी निकाय	2
	(ii) स्थायी वित्त समिति	4
4.	**विद्यापीठ के कार्य**	5
	(i) गुरु शिष्य परम्परा	6
	(ii) दीक्षान्त समारोह	13
	(iii) अध्येतावृत्ति पुरस्कार एवं जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)	14
	(iv) सम्मेलन/संगोष्ठियां	15
	(v) सम्भाषा कार्यशालाएं	15
	(vi) संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	16
	(vii) शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	17
	(viii) चरक आयतनम (6–दिनों का कार्यक्रम)	18
	(ix) प्रकाशन	18
5.	**तकनीकी रिपोर्ट** (वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित क्रियाकलाप)	18
	(i) बैठकें	18
	(ii) गुरु शिष्य परम्परा के पाठ्यक्रम	25
	(iii) संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	39
	(iv) शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	40

	(v) ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा–साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला	41
	(vi) पुस्तकों का प्रकाशन/बिक्री	43
	(vii) अन्य क्रियाकलाप	43
6.	**बजट और व्यय**	45
7.	**पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**	46
8.	**लेखे**	51
	(i) 31 मार्च, 2021 तक का तुलनपत्र	51
	(ii) 31 मार्च, 2021 तक के आय एवं व्यय लेखे	52
	(iii) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियाँ	53
	(iv) 31 मार्च, 2021 तक प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे	65
	(v) 31 मार्च, 2021 तक अंशदायी भविष्य निधि की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र	67
	(vi) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	69
	(vii) आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ	70

प्राक्कथन

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (रा.आ.वि.), भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जिसे शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से आयुर्वेद के परम्परागत कर्माभ्यास और ग्रन्थों (मूलपाठ) के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देष्य से वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। यहां लक्षित शिक्षार्थी आयुर्वेद के ऐसे नए स्नातक और स्नातकोत्तर होते हैं, जो परम्परागत आयुर्वेदिक कर्माभ्यास और सिद्धान्तों में स्वयं को अधिक दक्ष बनाने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) दो ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेदिक शिष्यों को परम्परागत कर्माभ्यास एवं ग्रन्थ संबंधी ज्ञान में और अधिक निपुण बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। अब तक लगभग 1199 एवं 71 शिष्यों ने क्रमशः रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) और रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम (एम. आर.ए.वी.) पूर्ण कर लिया है। सत्र 2020–21 में, सीआरएवी पाठ्यक्रम के तहत 156 शिष्यों को 68 गुरुजनों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा सूचीबद्ध विद्वानों के मार्गदर्शन में सभी शिष्य आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोगी की जांच एवं तदंतर उपचार में प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का कम उपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस अन्तराल को महसूस करने के बाद परम्परागत नैदानिक पद्धतियों से रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करने की कला में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम में उन युवा संकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो चिकित्सा विषयों से संबंध रखते हैं ताकि वे अपने चिकित्सा कर्माभ्यास में प्रयोग करने के लिए ऐसी प्रणालियों में दक्ष हो जाएं। सत्र 2020–21 तक देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे 19 नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान विद्यापीठ ने 24वीं दीक्षान्त समारोह के साथ अपने दो दिनों के राष्ट्रीय संगोष्ठी की नियमित गतिविधि के साथ मनाया। इस अवसर पर माननीय आयुष मंत्री (आईसी) श्री श्रीपद यसो नाइक, श्री किरेन रिजिजु और वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय उपस्थित थे। इस साल, संगोष्ठी 'एसडीजी–3 की प्राप्ति हेतु आयुर्वेद' पर आयोजित किया गया था।

संगोष्ठी में आयुर्वेद के कई प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम को आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वानों और आयुर्वेद के शोध विद्वानों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुति द्वारा विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मुख्य विचारों द्वारा चिह्नित किया गया था। संगोष्ठी में 20 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस अवसर पर सभी 20 शोध पत्र एक सीडी में जारी किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु प्रधान संस्था (नोडल एजेंसी) के रूप में भी कार्य करता है। सी.एम.ई. के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 05 सी.एम.ई कार्यक्रम/परियोजनाएं को मूर्त रूप दिया गया है जिसमें आयुष कर्मियों के लिए आईटी क्षेत्र में 04 वेब/आईटी आधारित कार्यक्रम और 01 सीएमई शामिल है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुर्वेद प्रशिक्षण देने के अपने विभिन्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नए तंत्र भी विकसित कर रहा है। यह मौजूदा प्रणाली में लगातार त्रुटियां ढूँढ रहा है और इसके समाधान के तरीके ढूँढ कर उनका संशोधन करता है। विभिन्न प्रतिपुष्टियों एवं मध्यावधि मूल्यांकन तंत्रों के जरिए रा.आ.वि. के कार्यकलापों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। रा. आ.वि. अपने क्षेत्र में विशिष्ट बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह आयुर्वेद कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के समर्पित केन्द्र के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील है। रा.आ.वि. इस दिशा में कई नई पहल कर रहा है जिनके भविष्य में वास्तविक परिणाम होने की आशा है। विद्यापीठ के क्रिया–कलापों एवं उपलब्धियों पर वर्ष 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन, इसके लेखापरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ. अनुपम श्रीवास्तव)
निदेशक

प्रस्तावना

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषित है। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सोसाइटी, दिल्ली प्रशासन में 11 फरवरी, 1988 को हुआ है। इसने वर्ष 1991 से धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026 में कार्य करना प्रारम्भ किया।

इस विद्यापीठ की स्थापना प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वानों एवं कर्माभ्यासियों के आयुर्वेदिक ज्ञान को संरक्षित रखने और उसे शिक्षा एवं ज्ञान अन्तरण की भारतीय परम्परागत गुरु शिष्य प्रणाली के जरिए युवा पीढ़ी को अन्तरित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आयुर्वेदिक प्राचीन ग्रन्थों एवं चिकित्सालयी (नैदानिक) कर्माभ्यासों में नई पीढ़ी के आयुर्वेदिक विद्वानों को कुशल बनाना है।

2. विद्यापीठ के उद्देश्य :

1. आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाना।
2. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में निरन्तर शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना तथा इस प्रयोजन से परीक्षाएं आयोजित करना।
3. सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करना।
4. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्यता को मान्यता प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
5. आयुर्वेद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक कार्य करना।
6. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।
7. आयुर्वेदिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं, समितियों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।

8. आयुर्वेद का संवर्धन करना और आयुर्वेद में निरन्तर शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए निधियां एवं धर्मदाय प्राप्त करना और उनका प्रबन्ध करना ।

9. आयुर्वेदिक शिक्षा की नई प्रणालियों पर परीक्षण करना ताकि शिक्षा के सन्तोषजनक स्तर पर पहुँचा जा सके ।

10. विद्यापीठ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आचार्य पद, अन्य संकाय स्तर की अध्येतावृत्तिएं (फेलोशिप), अनुसंधान संवर्ग पद एवं छात्रवृत्ति आदि प्रारम्भ करना, इत्यादि।

3. समितियां :

3.1 शासी निकाय

संस्था के बर्हिनियम व भारत सरकार के आदेशानुसार, विद्यापीठ के कार्यों का प्रबन्धन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा शासी निकाय का पुनर्गठन पाँच (5) वर्षों के लिए 20 फरवरी, 2019 को निम्नानुसार किया गया था :–

शासी निकाय के अध्यक्ष

1. **'पद्मभूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा,**
30, सुखदेव विहार,
नई दिल्ली–110 025

भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति (पदेन सदस्य)

2. **अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार,**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली

3. **विशेष सचिव (आयुष),**
आयुष मंत्रालय,
नई दिल्ली

4. **सलाहकार (आयुर्वेद),**
आयुष मंत्रालय,
नई दिल्ली

5. **कुलपति,**
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जामनगर (गुजरात)

भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ

6. **वैद्य प्रमोद पी. सावंत,**
माननीय मुख्य मंत्री,
सिविल सचिवालय,
पणजी (गोवा)

7. **डॉ. के.के. अग्रवाल,**
जयपुर (राजस्थान)

8. **डॉ. सुभाष रानाडे,**
पुणे (महाराष्ट्र)

9. **वैद्य वर्षा देशपांडे,**
कराड (महाराष्ट्र)

10. **वैद्य राजेश गुप्ता,**
सावंतवाडी (महाराष्ट्र)

अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन (ए.आई.ए.सी.) द्वारा मनोनीत सदस्य

11. **डॉ. राकेश शर्मा,**
चंडीगढ़ (पंजाब)

12. **वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,**
पुणे (महाराष्ट्र)

13. **वैद्य गोविंद प्रसाद उपाध्याय,**
नागपुर (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के रत्न–सदस्यों (फेलो) में से एक सदस्य

14. **वैद्य सदानंद पी. सर्देशमुख,**
पुणे (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के पूर्व शिष्यों में से एक सदस्य

15. **डॉ. मोहन लाल जायसवाल,**
जयपुर (राजस्थान)

सदस्य सचिव

16. **निदेशक, रा.आ.वि.**

3.2. स्थायी वित्त समिति

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 20 जनवरी, 2019 को 5 वर्ष के लिए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) का पुनर्गठन किया था, जिसकी कार्यावधि वर्तमान शासी निकाय के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जायेगी। स्थायी वित्त समिति की संरचना निम्न प्रकार हैः–

1. **विशेष सचिव (आयुष),** **अध्यक्ष (पदेन सदस्य)**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली–110 023

2.	**अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार अथवा उनके प्रतिनिध,** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110 011	सदस्य (पदेन सदस्य)
3.	**सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा उप–सलाहकार,** आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110 023	सदस्य (पदेन सदस्य)
4.	**वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,** (विशेषज्ञों से शासी निकाय के सदस्य) पुणे (महाराष्ट्र)	सदस्य (नामांकित)
5.	**वैद्य वर्षा देशपांडे,** (विशेषज्ञों से शासी निकाय के सदस्य) कराड (महाराष्ट्र)	सदस्य (नामांकित)
6.	**निदेशक,** राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ	सदस्य सचिव

4. विद्यापीठ के कार्य

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन 'रा.आ.वि. का सदस्य' एवं 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र' नामक दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाता है। इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए यह विद्यापीठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैद्यों को गुरु के रूप में सूचीबद्ध करता है और इन पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्वेद की अपेक्षित औपचारिक अर्हताएं रखने वाले शिष्यों

को इसके लिए चयन करता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यापीठ संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाएं आयोजित करने, साहित्य का प्रकाशन करने और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों को मान्यता देने/अभिनन्दन प्रदान करने का कार्य भी करता है। एमआरएवी पाठ्यक्रम अस्थायी रूप से चालू नहीं है।

4.1 गुरु शिष्य परम्परा

'गुरु शिष्य परम्परा' शिक्षा की परम्परागत आवासीय प्रणाली है, जिसमें शिष्य अपने गुरु के निवास स्थान के पास में ही रहता है और गुरु के नियमित चिकित्सकीय कार्य में उनके साथ रहकर एकैक शिक्षा प्राप्त करता है। गुरुकुल के विलुप्त होने के साथ ही यह प्रणाली भी समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने महसूस किया कि आयुर्वेद में ज्ञानान्तरण की यह प्रणाली अभी भी बहुत प्रभावी है। अतः यह विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षा प्राप्त करने के संस्थागत रूप में संहिताओं (आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों) का केवल प्रासंगिक भाग ही पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 'गुरु शिष्य परम्परा' कार्यक्रम में शिष्यों के लिए चुनी गई संहिता और उसकी टीका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन की व्यवस्था की गई है और उन्हें आयुर्वेदिक कर्माभ्यास के पारम्परिक कौशलों के बारे में भी बताया जाता है। अध्ययन की अवधि के दौरान शिष्यों को गुरुजनों से परस्पर बातचीत करने तथा रोगियों, जड़ी–बूटियों अथवा औषधि तैयार करने की विधि को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

4.1.1 पाठ्यक्रम

(अ) आचार्य गुरु शिष्य परम्परा (रा.आ.वि. का द्विवर्षीय सदस्य पाठ्यक्रम– एम.आर.ए.वी.)

यह भागीदारों को आयुर्वेदिक संहिताओं और उन पर टीकाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए साहित्यिक अनुसंधान पर आधारित एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद संहिताओं में अच्छे शिक्षक,

अनुसन्धानकर्ता और विशेषज्ञ तैयार करना है। शिष्य अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता से सम्बन्धित संहिता का गुरु के मार्ग दर्शन में 2 वर्ष तक अध्ययन करता है। विद्यापीठ ने इस पाठ्यक्रम का प्रारम्भ वर्ष 1992 में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले वैद्यों को आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रन्थों में विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से की थी।

समुचित सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को अच्छी तरह समझने वाले अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अन्त में, शिष्यों से एक शोध प्रबन्ध जमा करने की अपेक्षा की जाती है जिसे शिष्यों का योगदान माना जाता है। यद्यपि शिष्य अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण (ग्रन्थ) का अध्ययन करता है परन्तु वह विद्यापीठ द्वारा सम्बन्धित गुरु के साथ परामर्श करने के बाद दिए गए सुझाव के अनुसार ही निर्धारित अध्यायों/ शीर्षकों पर शोध प्रबन्ध लिखता है ताकि एक समान कार्य की पुनरावृत्ति न हो जाये।

एमआरएवी पाठ्यक्रम अस्थायी रूप से चालू नहीं है।

(ब) चिकित्सक गुरु शिष्य परम्परा (रा.आ.वि. का एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम– सी.आर.ए.वी.)

यह पाठ्यक्रम फरवरी, 1999 से प्रारम्भ किया गया था। इस पाठ्यक्रम की अवधि आयुर्वेदिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के लिए एक वर्ष की है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) **या** समतुल्य उपाधि/आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को विख्यात चिकित्सक गुरु के रूप में सूचीबद्ध कर्माभ्यासरत वैद्यों के अधीन प्रशिक्षण हेतु चुना जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान, शिष्य आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित नाड़ी परीक्षा, औषध निर्माण, क्षार–सूत्र, पंचकर्म, रोगों का उपचार, नेत्र चिकित्सा, अस्थिचिकित्सा इत्यादि प्रक्रियाओं को सीखते हैं। प्रशिक्षुओं से प्रत्येक महीने उनके अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले रोगियों का रिकार्ड तैयार करने और बाद में इन रिकार्डों को रा.आ.वि. में जमा करने की अपेक्षा की जाती है। शिष्यों द्वारा किया गया कार्य जैसे–रोगीवृत्त, मासिक अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि की राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में जांच की जाती है। शिष्यों को उनके गुरुजनों के माध्यम से सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

4.1.2 गुरुजनः

(अ) रा.आ.वि. के सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु :

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले विद्वानों को गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता हैः

वह व्यक्ति, रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, जो आयुर्वेद का सेवानिवृत्त आचार्य (प्रोफेसर) हो, जिसने स्नातकोत्तर (पी.जी.) या विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधि ग्रहण करने के साथ अच्छा प्रकाशित मान्यता प्राप्त अनुसन्धान कार्य किया हो और जिसे शैक्षणिक कार्य का उत्कृष्ट अनुभव हो या जो आयुर्वेद अनुसन्धान संस्था का सेवानिवृत्त निदेशक या आयुर्वेद में विख्यात अन्य कोई व्यक्ति हो, जो राज्य, केन्द्र/स्वायत्त संगठन एवं अन्य ख्याति प्राप्त कार्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर हो और व्यापक ज्ञान के साथ समुचित शैक्षणिक अनुभव रखता हो अथवा आयुर्वेद में कोई विशेषज्ञता रखता हो या आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान हो।

गुरु को 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और संस्कृत एवं आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास विशेष ज्ञान एवं दक्षता होना आवश्यक है, ताकि चयन को न्यायोचित ठहराया जा सके। द्रव्यगुण, रस–शास्त्र, भैषज्य कल्पना और अन्य नैदानिक विषयों में गुरु के पास प्रदर्शन के लिए बुनियादी सुविधा होनी चाहिए अथवा आस–पास ऐसी सुविधा/संस्था तक पहुँच होनी चहिए।

(ब) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के लिए गुरुः

गुरुजनों के लिए पात्रता मानदण्ड (सी.आर.ए.वी.)

सी.आर.ए.वी. गुरुजनों के चयन के लिए निम्नलिखित दो पात्रता मानदण्डों को अपनाया गया है :–

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थागत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड

i. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम 1970 की धारा 17 के तहत आयुर्वेद के चिकित्सक जो किसी भी राज्य के पंजी में नामांकित हों।

ii. आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

iii. आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विषय में आयुर्वेदिक सामान्य अथवा विशिष्ट चिकित्सालय कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव।

iv. किसी भी स्थान अथवा किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए। यह शर्त रोजगार को छोड़कर अन्य मानार्थ पदों के लिए बाधक नहीं होगी।

v. रा.आ.वि. गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सकों की प्रतिदिन कम से कम 40 रोगियों वाला एक बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) होना चाहिए।

vi. प्रतिदिन 25 रोगियों की बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) के अलावा सर्जिकल अभ्यास के मामले में, वैद्य को प्रतिदिन कम से कम 15 सर्जिकल/पैरा–सर्जिकल/क्षारसूत्र/अग्नि कर्म प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

vii. आयुर्वेद फार्मेसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मेसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 वर्ष से कार्य कर रही हो।

viii. युवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों (शिष्यों) को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण देने के तरीके से प्रशिक्षित करने तथा बिना किसी आपत्ति के अपने चिकित्सा ज्ञान एवं कौशलों को सिखाने का इच्छुक होना चाहिए।

ix. गुरु को आईपीडी के साथ या बिना 02 शिष्यों तक और 20 शय्याओं की बहिरंग विभाग (आई.पी.डी.) के साथ या ऊपर 04 शिष्यों तक दिया जा सकता है।

2. संस्थागत गुरुजनों (संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र) के लिए मानदण्ड :

i. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र।

ii. न्यूनत्तम 50 शय्याओं वाला अंतरंग विभाग (आई.पी.डी.) और प्रतिदिन 200 रोगियों वाला बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) का आयुर्वेदिक चिकित्सालय।

iii. केन्द्र कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो।

iv. केन्द्र की अच्छी ख्याति होनी चाहिए और उसे विभिन्न विशिष्ट दशाओं के आयुर्वेदिक उपचार के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए।

v. फार्मेसी के मामले में उसके पास जी.एम.पी. प्रमाणपत्र, औषध नियंत्रण निगरानी सुविधा तथा अनुसन्धान एवं विकास विभाग होना चाहिए।

vi. संस्थान के प्राधिकारियों को, रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए उनके चिकित्सालय/फार्मेसी प्रशिक्षण से संबंधित सभी स्थानों पर हर सम्भव पहुँच देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

vii. ऐसी संस्था को 8 शिष्य तक दिये जा सकते हैं और मुख्य चिकित्सक/संस्था का चिकित्सक और/अथवा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक शिष्यों के प्रशिक्षण प्रभारी होंगे।

(स) सूचीबद्ध करना :

किसी भी पाठ्यक्रम के लिए गुरु का चयन शासी निकाय के अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक जांच–समिति (सर्च कमेटी) द्वारा किया जाता है। समिति विद्वानों और वैद्यों के जीवन–वृत्तों की जांच करती है और उनकी क्षमता पर समुचित विचार–विमर्श करने के बाद गुरु का चयन किया जाता है और शासी निकाय से उनको सूचीबद्ध करने के लिए संस्तुति की जाती है। शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात्, गुरुपद एवं रा.आ.वि. के नियमों के अनुपालन के लिए उनकी इच्छा जानने तथा उनके पास प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पता लगाने के उपरान्त, जब कभी भी रिक्त स्थान होता है तो उनके पास सूचीबद्ध करने के संबंध में पत्र भेजा जाता है। गुरु का चयन पूर्णतया अस्थायी आधार पर, सामान्यतः एक पाठ्यक्रम अवधि के लिए अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सदस्य पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के लिए होता है। शासी निकाय या शासी निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गुरु के कार्य की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है। गुरु के पास कोई शिष्य नहीं होने या

उनके अधीन सभी शिष्यों द्वारा अपना पाठ्यक्रम अध्ययन की अवधि पूर्ण कर लिए जाने पर, उनकी नियुक्ति पूर्ण मानी जाती है।

4.1.3 शिष्यः

सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।

सीआरएवी पाठ्यक्रम में आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पूर्वस्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के लिए 32 वर्ष है। सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित स्थायी रूप से नियुक्त वैद्यों (डाक्टरों) को आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अभ्यर्थियों की अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक हैं।

प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच करने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा में, चिकित्सा विषयों पर विशेष बल देते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की विवरणिका में दिये गए विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। शिष्य के चयन में, शिष्य की चयन परीक्षा में श्रेष्ठता, 250 किमी की दूरी (शिष्यों और गुरुजनों के बीच) और विषय/गुरु की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों को वरीयता दी जाती है।

चुने गए अभ्यर्थियों को इस आशय का एक बन्धपत्र (बाण्ड पेपर) जमा करना होता है कि यदि शिष्य बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है या उस शिष्य को विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने पर निष्कासित किया जाता है, तो उस शिष्य को विद्यापीठ से ली गई सम्पूर्ण शिक्षावृत्ति 12 प्रतिशत ब्याज सहित विद्यापीठ को लौटानी होती है। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, शिष्यों को, देश के विभिन्न भागों में स्थित सम्बन्धित गुरुजनों के संरक्षण में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाता है।

4.1.4 मानदेय एवं शिक्षावृत्तिः

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक महीने गुरुजनों को मानदेय व शिष्यों को शिक्षावृत्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक गुरु को प्रशिक्षण देने के लिए 2 से 4 तक शिष्य दिये जाते हैं। गुरुजनों का मानदेय केवल ₹ 15820/– तथा समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं दो शिष्यों तक ₹ 5000/– है। यदि किसी गुरु के पास दो से अधिक शिष्य होते हैं तो उन्हें ₹ 2000/– प्रति शिष्य की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। इसी प्रकार सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए शिक्षावृत्ति केवल ₹ 15820/– एवं 6वीं सीपीसी के अनुसार समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता है। एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए केवल ₹ 15820/–एवं समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं इसके अतिरिक्त ₹ 2500/– की शिक्षावृत्ति है।

4.1.5. परीक्षाः

एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के अन्त में शिष्यों की अन्तिम परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाती हैः–

(क) शिष्य द्वारा तैयार शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन

(ख) तीन घंटे की लिखित परीक्षा

(ग) मौखिक परीक्षा

अनुमोदन/अस्वीकरण के आधार पर शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन किया जाता है। शोधप्रबन्ध के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् शिष्य की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के तीनों भागों में से प्रत्येक में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने पर शिष्य को 'रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम' का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उसका अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की जाती है।

सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिष्य अपने अध्ययन के अन्त में सीखे गए विषय की उल्लेखनीय बातों अर्थात् विशेष रोगों का उपचार, औषधियों एवं विशिष्ट प्रकरणों का सारांश देते हुए एक मोनोग्राफ तैयार करता है जो 25 पृष्ठों से अधिक नहीं होता और वह परीक्षा से एक माह पूर्व इसे विद्यापीठ को भेजता है। शिष्यों से अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान देखे गए कुछ रुचिकर

मामलों पर विशेष केस रिर्पोट/औषध भेजने के लिए भी कहा जाता है। परीक्षा दो भागों में होती हैः–

(क) तीन घंटों की लिखित परीक्षा

(ख) मौखिक परीक्षा।

लिखित व मौखिक परीक्षा के लिए मोनोग्राफ, केस रिपोर्ट और मासिक रिकार्ड शीटें आधार बनती हैं। शिष्य के प्रशिक्षण अवधि के लिए उसके गुरु से शिष्य के आन्तरिक मूल्यांकन के लिए भी कहा जाता है। लिखित व मौखिक परीक्षा में अलग–अलग संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले सफल अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। असफल अभ्यर्थियों को तीन माह की अवधि के लिए उनके गुरु के पास पुनः भेजा जाता है। इस अवधि के बाद उनसे पुनः परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है। गुरु के पास अतिरिक्त समय तक रहने के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जाती है।

उत्तीर्ण शिष्यों को दीक्षान्त समारोह में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

4.1.6. उपलब्धियांः

अभी तक एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 71 शिष्यों एवं सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 1199 शिष्यों अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

4.2. दीक्षान्त समारोह

विद्यापीठ सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करने तथा आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्य अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान करने एवं प्रोत्साहन देने जैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तीर्ण शिष्यों को प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ विख्यात विद्वानों एवं वैद्यों को आयुर्वेद की प्रगति हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) और जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार) से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन करता है।

4.3. अध्येतावृत्ति सम्मान (फेलोशिप)

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वानों और विभिन्न पारम्परिक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासियों को उनकी विद्वत विशेषज्ञता और शिक्षा, अनुसन्धान, रोगी की देखभाल और/अथवा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करता है। यह एक मानद सम्मान है, जिसमें प्रत्येक रत्नसदस्य का राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में एक प्रशस्तिपत्र द्वारा अभिनन्दन किया जाता है और एक शॉल व एक कलश/स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शासी निकाय द्वारा विद्वानों के जीवनवृत्तों के आधार पर इन अध्येतावृत्तिओं का निर्धारण किया जाता है। अभी तक 337 विद्वानों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित विद्वानों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गईः–

1. डॉ. धर्मेंद्र सिंह गंगवार, नई दिल्ली
2. डॉ. राकेश शर्मा, चंडीगढ़ (पंजाब)
3. डॉ. वर्षा देशपांडे, कराड (महाराष्ट्र)
4. डॉ. नरेंद्र नारायणदास गुजराती, जलगाँव (महाराष्ट्र)
5. प्रो. वी.के. जोशी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
6. वैद्य मिलीन्द पाटील, मुंबई (महाराष्ट्र)
7. वैद्य विजयन नंगेलील, कोथमंगलम (केरल)
8. डॉ. स्पवनेश्वर पांडा, कटक (ओड़िशा)
9. प्रो. अभिमन्यु कुमार, जोधपुर (राजस्थान)
10. डॉ. कंदर्प देसाई, अहमदाबाद (गुजरात)
11. वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)

ब) जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)

आयुर्वेद की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित दो प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गयाः–

1. वैद्य भास्कर विनायक साठे, अलीबाग (महाराष्ट्र)
2. डॉ. सी.पी. मैथ्यू, कोट्टयम (केरल)

अभी तक 20 विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ प्रदान की जा चुकी है।

4.4. राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी

विद्यापीठ प्रत्येक वर्ष एक ऐसे रोग के विषय पर एक सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करता है, जिसमें आयुर्वेदिक निदान एवं उपचार के लिए विचारों का आदान–प्रदान, विचार–विमर्श तथा चिकित्सा संबंधी अनुभव को प्रसारित करना अपेक्षित है। अभी तक क्षार–सूत्र, हृदय–रोग, आयुर्वेदिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास, नाड़ी विज्ञान, आशुकारी आयुर्वेदिक औषधियां एवं तकनीक, शोथहर एवं जीवाणु नाशक आयुर्वेदिक औषधियां, एड्स, थायरॉयड रोग, रसायन तथा वृक्क एवं अन्य मूत्र विकार, यकृत पैत्तिक एवं प्लीहा रोग, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य, वातव्याधि, मोटापा, महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य रक्षा, हृदय रोग निवारण, त्वक् रोगों का उपचार, कैंसर (2), स्वतः रोग प्रतिरक्षा क्षमता, बस्ति कर्म, प्रमेह (मधुमेह), खेल चिकित्सा में आयुर्वेद की भूमिका, दीर्घायु के लिए आयुर्वेद और एसडीजी–3 की प्राप्ति हेतु आयुर्वेद विषयों पर 25 सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं।

4.5. आयुर्वेद के अध्यापकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय सम्भाषा कार्यशालाएं

अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत कर रहे शिष्यों, कनिष्ठ शिक्षकों एवं युवा वैद्यों का यह आम अनुभव रहा है कि पाठ्यपुस्तकों के विषयों/शीर्षकों पर उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनके लिए व्याख्या/स्पष्टीकरण, परस्पर वार्ता और वैज्ञानिक समझ अपेक्षित है। कुछ महाविद्यालयों में जहाँ अनुभवी एवं योग्य संकायों की कमी है, वहाँ विद्यार्थी आयुर्वेद की अवधारणाओं और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता को समझने का लगातार प्रयास करते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा बार–बार यह मुद्दा उठाया जाता है और उस पर तर्क दिया जाता है कि कुछ ऐसे विषयों को जिनकी मौजूदा वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की जा सकती है, पाठ्यक्रम/ग्रन्थों (पाठ्यपुस्तकों) से हटा दिया जाए, क्योंकि वे वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।

परन्तु ऐसे निर्णय पर पहुँचने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि शिष्यों एवं प्रख्यात विद्वानों तथा अनुभवी वैद्यों में परस्पर बातचीत की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शंका के ऐसे मुद्दों पर विचार–विमर्श का अवसर मिल

सके। यह पाया गया है कि किसी विशिष्ट विषय/शीर्षक पर आयोजित नेमी संगोष्ठियां उसी विषय पर विचार–विमर्श करने तक सीमित रहती हैं और कई बार समय के अभाव में विद्यार्थियों एवं भागीदारों की शंकाएं दूर करने में अक्षम रहती हैं। शिक्षण के क्षेत्र में प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन को शामिल करके एवं लोगों की स्वास्थ्य रक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दैनिक कर्माभ्यास में उन्हें लागू करने से पेशेवरों में आज के ज्ञान में प्राचीन विचारों के अनुप्रयोग के सम्बन्ध में प्रश्न उठने की पूरी सम्भावना है।

इन कार्यशालाओं में संहिताओं, निघंटुओं, चिकित्सा ग्रन्थों तथा आयुर्वेद की अन्य पाठ्य पुस्तकों के चुने गए विषयों पर शिष्यों से ऐसे प्रश्न आमंत्रित किये जाते हैं जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। शिष्यों से प्रश्न मिलने पर उन्हें ऐसे आयुर्वेदिक विद्वानों (साधन सम्पन्न व्यक्तियों) के पास भेजा जाता है, जिन्हें उस विषय का समुचित ज्ञान हो और जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हों। प्रश्नोत्तरों को एक पुस्तक के रूप में समेकित करके और वैज्ञानिक विचार–विमर्श के लिए कार्यशाला में वितरित किया जाता है। प्रश्नकर्ताओं और विशेषज्ञों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा अभी तक 25 सम्भाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है तथा कार्यशाला में विचार–विमर्श किये गए प्रश्नोत्तर वाली पुस्तकें तैयार कर उनका विमोचन भी किया जा चुका है।

4.6. संहिता आधारित औषधीय निदान विषय पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2012 में आयुर्वेद शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान के स्तरों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक संस्थानों के सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि कई संस्थानों के नैदानिक अभिलेखों में दशाविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षण आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित औषधीय रोग निदान की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों के साथ ही स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों की यह कला सीखने में रुचि दिखाई है।

उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था।

आयुर्वेद हमारे देश की एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और यह भारत में कई सदियों से प्रयोग में है। जनता के लिए कई उपचार पद्धतियां, चिकित्सा पद्धतियाँ एवं औषधियाँ मौजूद हैं। बहुत से कर्माभ्यासी या तो अपने पूर्वजों से परम्परागत ज्ञान प्राप्त करके अथवा स्वयं के अनुभव से आयुर्वेद का कर्माभ्यास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। रोगी देख–भाल के क्षेत्र में उन्हें जो ज्ञान एवं कौशल प्राप्त है, उसे युवा वैद्यों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, रोग निदान और उपचार में आयुर्वेद के इस ज्ञान की आयुर्वेद की अवधारणाओं के अनुसार ही व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है।

4.7. आयुर्वेद के स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों' पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि वैश्विक वैज्ञानिक साहित्य में आयुर्वेद की हिस्सेदारी मामूली है अर्थात् आयुर्वेद का योगदान बहुत कम है। प्रतिवर्ष आयुर्वेद में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर (पी.जी.) और विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) पूरा करने वालों के बावजूद प्रकाशित अनुसन्धान की संख्या नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में किये गए अनुसन्धान का स्तर अच्छा नहीं रहता, जो प्रकाशन के योग्य नहीं होता। यह भी पाया गया कि आयुर्वेद में अच्छे स्तर का अनुसन्धान न किया जाना मूल रूप से आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिष्यों द्वारा अनुसन्धान विषयों की अच्छी जानकारी न होने का परिणाम है। रा.आ.वि. ने हाल ही में इस अन्तराल को महसूस किया है और आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए अनुसन्धान विधियों/शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और साथ ही आजीविका अवसर संबंधी मार्गदर्शन पर केन्द्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2020–21 में शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों पर विभिन्न विषयों पर विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 09 से 10 अक्टूबर, 2021 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

4.8. चरक आयतनमः (आयुर्वेद के स्नातक और स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए 6 दिन का पूरा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक से समझाया और सिखाया नहीं गया हैं। फलसवरूप, वे सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में माना जाता है।

चरक संहिता कायचिकित्सा का मूल पाठ है, चरक आयतनम कार्यक्रम चरक संहिता की प्रमाणिक नैदानिक समझाने और नैदानिक अभ्यास में इसकी प्रासंगिकता प्रदान करने का एक प्रयास हैं ।

4.9. प्रकाशन

विद्यापीठ आयुर्वेद की कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है, जो जन–साधारण में जागरूकता पैदा करती हैं और साथ ही आयुर्वेद एवं सम्बद्ध विज्ञानों के विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के लिए भी उपयोगी हैं। यह विद्यापीठ, आवश्यक पुनरीक्षा एवं विशेषज्ञ–समिति की संस्तुतियों तथा शासी निकाय से अनुमोदन लेने के पश्चात्, अपने शिष्यों के शोध प्रबन्धों का प्रकाशन भी करता है। रा.आ.वि. ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाले अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्धों पर आधारित चार पुस्तकों सहित अभी तक 25 स्मारिकाएं और 15 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सम्भाषा कार्यशालाओं से संबंधित पच्चीस प्रश्नोत्तरी वाली पुस्तकों का प्रकाशन भी इस विद्यापीठ द्वारा किया गया है।

5. तकनीकी रिपोर्ट (वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित क्रिया–कलाप)

5.1. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासी निकाय की एक बैठक तथा स्थायी वित्त समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं थी। विवरण निम्नवत् है :–

(अ) शासी निकाय की बैठकः

वर्ष के दौरान शासी निकाय की एक बैठक (46वीं शासी निकाय बैठक) 13 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

13 जुलाई, 2020 को आयोजित शासी निकाय की 46वीं बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा–अध्यक्ष
2. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय
3. अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
4. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
5. वैद्य अनूप ठाकर, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय
6. वैद्य सुभाष रानाडे, पुणे
7. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
8. वैद्य राजेश गुप्ता, सावंतवाडी
9. डॉ. राकेश शर्मा, चंडीगढ़
10. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
11. डॉ. गोविंद प्रसाद उपाध्याय, नागपुर
12. वैद्य सदानंद सर्देशमुख, पुणे
13. डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, निदेशक–सदस्य सचिव

शासी निकाय की 46वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णयः

शासी निकाय की 46वीं बैठक 13 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गयीं थीः

1. सत्र 2020–21 के लिए गुरुजनों एवं शिष्यों के चयन हेतु अनुमोदन किया गया।

2. गुरुजनों के मूल्यांकन एवं उनके चयन के मानदंड में परविर्तन का अनुमोदन किया गया।
3. एमआरएवी पाठ्यक्रम को पूर्वरूप करने और आयुर्वेद छात्रों के लिए गुणवत्ता उच्च शिक्षा के लिए उच्च अभ्यासक्रम को अनुमोदन किया गया।
4. आयुर्वेद में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन किया गया।
5. आईआईटी वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया गया।
6. फेलोशिप (एफआरएवी) के चयन का अनुमोदन किया गया।

(ब) स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकः

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान स्थायी वित्त समिति की पांच बैठकें दिनांक 14 मई, 2020, 25 जून, 2020, 17 सितम्बर, 2020, 24 दिसम्बर, 2020 और 24 मार्च, 2021 को स्थायी वित्त समिति के पदेन सदस्यों के साथ आयोजित की गई थीं।

14 मई, 2020 को आयोजित 32वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. श्री राजकुमार, उप सचिव (आई.एफ.डी.), अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
5. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
6. श्री यश वीर सिंह, उप सचिव–आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित

7. श्री ए.जे.जे. केनेडी, अवर सचिव (एनआई)–आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
8. डॉ. अनुपम–निदेशक, आरएवी

स्थायी वित्त समिति की 32वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 32वीं बैठक 14 मई, 2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं:

1. वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों का अनुमोदन किया गया।
2. सीआरएवी पाठ्यक्रम का नए बैच सत्र 2020–21 के लिए गुरुजनों एवं शिष्यों के चयन हेतु अनुमोदन किया गया।
3. पी.जी. विद्वानों और युवा शिक्षकों के बीच सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदित किया।
4. स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हेतु अनुमोदित किया गया (चरकआयतनम)।
5. संहिता आधारित औषधीय निदान विषय पर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित किया।
6. स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए शोध पद्धतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित किया।
7. रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना विज्ञान के शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित किया।
8. राष्ट्रीय संगोष्ठी, दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन आयोजित करने के लिए अनुमोदित किया।
9. प्रत्यायन दस्तावेज के विकास के लिए अल्पकालिक आधार पर सलाहकार की नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया।

25 जून, 2020 को आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की विशेष बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
5. श्री यश वीर सिंह, उप सचिव–आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
6. श्री ए.जे.जे. केनेडी, अवर सचिव (एनआई)–आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
7. डॉ. अनुपम–निदेशक, आरएवी

स्थायी वित्त समिति की विशेष बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की विशेष बैठक 25 जून, 2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुति अनुमोदित की गई थी।

1. वर्ष 2019–20 के लि वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

17 सितम्बर, 2020 को आयोजित 33वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. श्री राजकुमार, उप सचिव (आई.एफ.डी.), अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।

3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
5. श्री यश वीर सिंह, उप सचिव–आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
6. श्री ए.जे.जे. केनेडी, अवर सचिव (एनआई)–आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
7. डॉ. अनुपम–निदेशक, आरएवी

स्थायी वित्त समिति की 33वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 33वीं बैठक 17 सितम्बर, 2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं:

1. राआवि कार्यालय के फेस लिफ्टिंग/नवीनीकरण के लिए सुझाव।
2. चरक संहिता खंड द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के पुनर्मुद्रण के लिए सुझाव।
3. क्षति वार्षिक रिपोर्ट और प्रकाशनों को बट्टे खाते में डालने का सुझाव।

24 दिसम्बर, 2020 को आयोजित 34वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
5. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
6. डॉ. अनुपम–निदेशक, आरएवी

स्थायी वित्त समिति की 34वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 34वीं बैठक 24 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं:

1. चरक संहिता खंड द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के पुनर्मुद्रण का अनुमोदन किया गया।
2. सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के रूप में एमआरएवी पाठ्यक्रम में सुधार का अनुमोदन किया गया।
3. आईआईटी वाराणसी में पीएच.डी. कार्यक्रम–समकालीन विज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद क्षेत्र में शिक्षा और साक्ष्य आधारित अनुसंधान का अनुमोदन किया गया।
4. केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
5. प्रत्यायन कार्य के लिए एक विशेषज्ञ/परामार्शदाता नियुक्ति करने का अनुमोदन किया गया।
6. अनुबंध के आधार पर आईटी पेशेवर की नियुक्ति करने का अनुमोदन किया गया।

24 मार्च, 2021 को आयोजित 35वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
5. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
6. डॉ. अनुपम–निदेशक, आरएवी

स्थायी वित्त समिति की 35वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 35वीं बैठक 24 मार्च, 2021 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं:

1. एक वर्ष के किराए के लिए अग्रिम भुगतान का अनुमोदन किया गया।
2. अनुबंध के आधार पर एक मीडिया सलाहकार और एक मीडिया इंटर्न की नियुक्ति करने का अनुमोदन किया गया।
3. आउटसोर्स के आधार पर दो एमटीएस और एक सफाईवाला की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।
4. आईटीआरए, एनआईए और एआईआईए में सुपर स्पेशियलिटी आयोजित करने के लिए संस्थागत सहयोग करने का अनुमोदन किया गया।

5.2. गुरु शिष्य परम्परा

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

सीआरएवी गुरुजनों का चयनः

वर्ष 2020–21 में नए सत्र के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम में गुरुजनों की नियुक्ति हेतु 11 नवम्बर, 2020 को 'विज्ञापन एवं दृष्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.)' के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सभी चयनित प्रमुख समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भावी वैद्यों/विद्वानों से 53 नए आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

14 दिसम्बर, 2020 को आयोजित शासी निकाय की एक उप–समिति, जिसमें प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए एवं शासी निकाय के अध्यक्ष, रा.आ.वि. से अनुमोदन के लिए निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1. वैद्य राजेशकुमार गुप्ता, सावंतवाडी – शासी निकाय के सदस्य
2. डॉ. राकेश शर्मा, चंडीगढ़ – शासी निकाय के सदस्य
3. डॉ. अनुपम, निदेशक, आरएवी – सदस्य, सचिव

उपरोक्त समिति ने आवेदनों की जांच की और 53 आवेदकों में से 20 आवेदनों का चयन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट, अन्य जानकारी की विस्तारपूर्वक चर्चानुसार, पात्रता मानदंड आदि के आधार पर किया। उप–समिति ने सत्र 2019–20 के 58 गुरुजनों का भी मूल्यांकन किया और 43 गुरुजनों का सत्र 2020–21 हेतु सुझाव दिये और पिछले सत्र 2019–20 के शेष गुरुजनों के संबंध में यह भी निर्णय लिया की वित्तीय उपलब्धता के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।

महामारी के कारण, सीआरएवी पाठ्यक्रम शुरू करने में देरी हुई अर्थात् इस विलंब के कारण वित्तीय गुंजाइश भी उपलब्ध थे जिससे पिछले सत्र अर्थात् 2019–20 के 13 गुरुजनों को सत्र 2020–21 के लिए विचार/सूचिबद्ध किया जा सकता था और चिकित्सा और व्यक्तिगत कारणों से 02 अन्य गुरुजनों ने अर्थात् प्रो. प्रेमवती तिवारी और डॉ. एस.पी. सर्देशमुख (संस्थागत गुरु) को सत्र 2020–21 के लिए विचार/सूचिबद्ध नहीं किया गया था। गुरुजनों के नामों को अन्तिम रूप देने के लिए 15 जनवरी, 2021 को उप–समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 68 गुरुजनों का चयन किया गया, जिनमें 64 व्यक्तिगत गुरु और 04 संस्थागत गुरु शामिल थे। इस वर्ष के लिए सी.आर.ए.वी के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय
1.	डॉ. बी. प्रभाकरन, कन्नूर (केरल)	अगद तंत्र
2.	डॉ. एन. कृष्णैया, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	बाल रोग
3.	डॉ. जयसुख आर. मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दंत चिकित्सा
4.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग
5.	डॉ. एन.वी. श्रीवत्स, पलक्कड़ (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा

6.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथमंगलम (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा
7.	डॉ. मैथ्यूज जोसेफ, मुवत्तूपूझा (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा और खेल चोट प्रबंधन
8.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा
9.	डॉ. ए. राघवेंद्र आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)	क्षारसूत्र एवं मर्म चिकित्सा
10.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र
11.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र
12.	डॉ. के.वी.एस. राव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र
13.	डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
14.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुत्र, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र
15.	डॉ. भास्कर रॉव, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र
16.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
17.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र

18.	प्रो. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
19.	वैद्य बालेन्दु प्रकाश, रामपुर (उत्तराखंड)	फार्मेसी
20.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी
21.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी
22.	डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मेसी
23.	वैद्य शशिकुमार नेचियल, पलक्कड़ (केरल)	फार्मेसी
24.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मेसी
25.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा
26.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. एन. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरू)
27.	आर्यवैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. रामकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)
28.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल (केरल) (डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारियर)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)
29.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात) (डॉ. सी.एन. जानी)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)

30.	वैद्य निमकर अनंत सदानंद, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
31.	डॉ. मणि भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा
32.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा
33.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
34.	डॉ. रमेश आर. वारीयर, मदुरै (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
35.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
36.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकंनडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
37.	वैद्य दिनेशचंद्र डी. गौराडिया, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
38.	वैद्य रामदास म्हालुजी अव्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
39.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
40.	वैद्य ताराचन्द शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
41.	डॉ. नरेन्द्र गुजराती नारायणदास, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा

42.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा
43.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा
44.	डॉ. सी.एम. श्रीकृष्णन्, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
45.	वैद्य जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा ''बसंत'', सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा
46.	डॉ. संतोष भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
47.	वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
48.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
49.	डॉ. दमानिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा
50.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा
51.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएड़ा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
52.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कोटा (राजस्थान)	कायचिकित्सा
53.	डॉ. श्रीकृष्णा शर्मा खंडेल, जयपुर (राजस्थान)	कायचिकित्सा

54.	वैद्य नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)	कायचिकित्सा
55.	डॉ. पंगला मुरलीधरन रामचंद्र भट, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
56.	डॉ. प्रवीण प्रभाकर जोशी, धुले (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
57.	वैद्य रविन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा
58.	वैद्य महेश मधुसूदन ठाकुर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
59.	प्रो. उपेन्द्र दिगम्बर दीक्षित, पोंडा (गोवा)	कायचिकित्सा
60.	डॉ. पी.एम.एस. रविन्द्रनाथ, पलक्कड़ (केरल)	कायचिकित्सा
61.	वैद्य मुरलीधर पुरुषोत्तम प्रभुदेसाई, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
62.	वैद्य एम. प्रसाद, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
63.	डॉ. पी.एल.टी. गिरिजा, चेन्नई (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
64.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
65.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा

66.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
67.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
68.	वैद्य जगजीत सिंह, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा

(ख) सीआरएवी पाठ्यक्रम के शिष्यों का प्रवेश एवं प्रशिक्षणः

इस वर्ष के दौरान शिष्यों को प्रवेश देने के उद्देश्य से 19 नवम्बर, 2020 को पूरे देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को इन विज्ञापनों की प्रतियाँ उनके सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी गई थी। विज्ञापनों की प्रतियाँ पाठ्य–विवरणिका एवं अन्य नियमावली के साथ सभी गुरुजनों एवं शासी निकाय के सदस्यों को भी भेजी गई थी।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में लगभग 740 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई थी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 734 पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए गए थे। परीक्षा 05 दिसम्बर, 2020 को नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी और त्रिशूर के पूर्व अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। छह केन्द्रों में कुल 667 आवेदकों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया गया था। योग्यता के आधार पर कुल 180 शिष्य चुने गए थे।

इस प्रकार निम्नलिखित 156 शिष्य 68 गुरुजनों के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय	शिश्यों की संख्या
1.	डॉ. बी. प्रभाकरन, कन्नूर (केरल)	अगद तंत्र	1
2.	डॉ. एन. कृष्णैया, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	बाल रोग	2
3.	डॉ. जयसुख आर. मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दंत चिकित्सा	2
4.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग	3
5.	डॉ. एन.वी. श्रीवत्स, पलक्कड़ (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	2
6.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथमंगलम (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	3
7.	डॉ. मैथ्यूज जोसेफ, मुवत्तूपूझा (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा और खेल चोट प्रबंधन	2
8.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा	3
9.	डॉ. ए. राघवेंद्र आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)	क्षारसूत्र एवं मर्म चिकित्सा	2
10.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र	2

11.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र	2
12.	डॉ. के.वी.एस. राव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र	2
13.	डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	3
14.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुत्र, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र	2
15.	डॉ. भास्कर रॉव, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र	2
16.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	1
17.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र	1
18.	प्रो. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	2
19.	वैद्य बालेन्दु प्रकाश, रामपुर (उत्तराखंड)	फार्मेसी	0
20.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी	3
21.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी	2
22.	डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मेसी	0

23.	वैद्य शशिकुमार नेचियल, पलक्कड़ (केरल)	फार्मेसी	0
24.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मेसी	1
25.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा	2
26.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. एन. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरू)	6
27.	आर्यवैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. रामकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)	7
28.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल (केरल) (डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारियर)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)	6
29.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात) (डॉ. सी.एन. जानी)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)	7
30.	वैद्य निमकर अनंत सदानंद, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
31.	डॉ. मणि भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा	1
32.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा	2
33.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2

34.	डॉ. रमेश आर. वारीयर, मदुरै (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	4
35.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	2
36.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकंनडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	4
37.	वैद्य दिनेशचंद्र डी. गौराडिया, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
38.	वैद्य रामदास म्हालुजी अव्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	4
39.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2
40.	वैद्य ताराचन्द शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2
41.	डॉ. नरेन्द्र गुजराती नारायणदास, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	3
42.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा	2
43.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
44.	डॉ. सी.एम. श्रीकृष्णन्, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	2
45.	वैद्य जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा ''बसंत'', सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा	2

46.	डॉ. संतोष भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
47.	वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
48.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
49.	डॉ. दमानिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा	3
50.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा	2
51.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएड़ा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
52.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कोटा (राजस्थान)	कायचिकित्सा	2
53.	डॉ. श्रीकृष्णा शर्मा खंडेल, जयपुर (राजस्थान)	कायचिकित्सा	2
54.	वैद्य नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)	कायचिकित्सा	2
55.	डॉ. पंगला मुरलीधरन रामचंद्र भट, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	2
56.	डॉ. प्रवीण प्रभाकर जोशी, धुले (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
57.	वैद्य रविन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा	2

58.	वैद्य महेश मधुसूदन ठाकुर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
59.	प्रो. उपेन्द्र दिगम्बर दीक्षित, पोंडा (गोवा)	कायचिकित्सा	2
60.	डॉ. पी.एम.एस. रविन्द्रनाथ, पलक्कड़ (केरल)	कायचिकित्सा	2
61.	वैद्य मुरलीधर पुरुषोत्तम प्रभुदेसाई, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
62.	वैद्य एम. प्रसाद, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	2
63.	डॉ. पी.एल.टी. गिरिजा, चेन्नई (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	1
64.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
65.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
66.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	4
67.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	3
68.	वैद्य जगजीत सिंह, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा	2
कुल			**156**

5.3 संहिता आधारित औषधीय निदान पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने वर्ष 2013–14 में इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों ने संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित जांच करने के नैदानिक तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, क्योंकि यह देखा गया था कि कई संस्थानों के चिकित्सा अभिलेखों में दशविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षा आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित नैदानिक जांच की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों ने आयुर्वेदिक निदान के तरीकों की यह कला सीखने में अभिरुचि दिखाई।

अतः आयुर्वेद के ग्रन्थों तथा आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन पद्धति पर आधारित नैदानिक निदान कला के कर्माभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देष्य से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने क्रिया शारीर (4), रचना शारीर (2), संस्कृत (2), पदार्थ विज्ञान (3) और आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित बारह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कियेः–

क्र. संख्या	विशय	समय
1	क्रिया शारीर	18 से 20, 21 से 23, 28 से 30 जनवरी, 2021 और 4 से 6 मार्च, 2021
2	रचना शारीर	27 से 29 जनवरी, 2021 और 3 से 5 फरवरी, 2021
3	संस्कृत	8 से 10 फरवरी, 2021 और 15 से 17 मार्च, 2021
4	पदार्थ विज्ञान	17 से 19, 22 से 24 फरवरी, 2021 और 18 से 20 मार्च, 2021
5	आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत	25 से 27 फरवरी, 2021

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रख्यात विद्वानों ने व्याख्यान दिये और व्यावहारिक सत्र आयोजित किए हैं। अब तक, 2572 अध्यापकों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया गया था।

5.4. आयुर्वेद के स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों' पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि वैश्विक वैज्ञानिक साहित्य में आयुर्वेद की हिस्सेदारी मामूली है अर्थात् आयुर्वेद का योगदान बहुत कम है। प्रतिवर्ष आयुर्वेद में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर (पी.जी.) और विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) पूरा करने वालों के बावजूद प्रकाशित अनुसन्धान की संख्या नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में किये गए अनुसन्धान का स्तर अच्छा नहीं रहता, जो प्रकाशन के योग्य नहीं होता। यह भी पाया गया कि आयुर्वेद में अच्छे स्तर का अनुसन्धान न किया जाना मूल रूप से आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिष्यों द्वारा अनुसन्धान विषयों की अच्छी जानकारी न होने का परिणाम है। र.आ.वि. ने हाल ही में इस अन्तराल को महसूस किया है और आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए अनुसन्धान विधियों/शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और साथ ही आजीविका अवसर संबंधी मार्गदर्शन पर केन्द्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2020–21 में शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों पर विभिन्न विषयों पर विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 09 से 10 अक्टूबर, 2021 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जिनमें आयुर्वेद एवं संबंद्ध विषयों के अनुसन्धान में उच्च दक्षता प्राप्त वरिष्ठ संकाय शामिल थे। पूरे देश के आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से भागीदार आमंत्रित किये जाते हैं। यह देखा गया कि आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की काफी प्रशंसा और मांग की गई। अब तक इन कार्यक्रमों में लगभग 100 आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्वानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

5.5. ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा–साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला

(अ) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (रा.आ.वि.) प्रत्येक **गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे ''ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा''** नामक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य प्रामणिक ज्ञान, सूचना का प्रसार करना और आयुर्वेद बन्धुत्व के ज्ञान और कौशल को आयुर्वेद के साथ–साथ समकालीन विज्ञान के क्षेत्र के दिग्गजों के साथ लाइव संवादात्मक सेशन के माध्यम से अद्यतन करना था। अब तक विभिन्न विषयों पर 39 से अधिक वेबिनार आयोजित किए जा चुके थे।

(ब) ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' की छत्रछाया में क्षेत्र विशिष्ट आयुर्वेद आहार का प्रचार–प्रसार

''एक भारत श्रेश्ठ भारत'' के अभियान के तहत, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय की एक पहल ने रा.आ.वि. को ''क्षेत्र–विशिष्ट आयुर्वेद आहार को बढ़ावा देने'' की जिम्मेदारी सौंपी थी। यह आयुर्वेद आहार की अवधारणा के साथ लोगों को बढ़ावा देने और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किया गया था। उसी के क्रियान्वयन के लिए, रा.अ.वि. ने विभिन्न प्रचार गतिविधियाँ का आयोजन किया था, जैसे–रा.आ.वि. के चल रहे ट्युटोरियल वेबेनिार श्रृंखला अर्थात् ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा में "क्षेत्र विशिष्ट आयुर्वेद आहार" विषय का समावेश। आयुर्वेद के विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेद आहार से संबंधित विषयों पर तीन वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, मेरा क्षेत्र–मेरा आयुर्वेद आहारा–स्वास्थ्य संवर्धन में इसकी भूमिका'' विषय पर आयुर्वेद के छात्रों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में देश भर के 80 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। 03 विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रत्येक को ई–प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया था। "मेरा स्थान, मेरा खान–पान और स्वास्थ्य उत्थान'' विषय पर ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा पोस्टरों की समीक्षा की गई और विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रत्येक को ई–प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया और रा.आ. वि. ने विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट आयुर्वेद आहारा का प्रचार हेतु फेसबुक, यूटयूब और ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो अपलोड किया। इसके

साथ ही, ''इस सप्ताह का आहार'' शीर्षक के तहत रा.अ.वि के वेबसाइट पर साप्ताहिक टेम्प्लेट नियमित रूप से अपलोड किया गया था।

(स) "स्वर्ण प्राशन" पर राष्ट्रीय परामर्श

रा.आ.वि. ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "स्वर्ण प्राशन" के साथ–साथ 'सामुदायिक बूस्टर पर राष्ट्रीय परामर्श' आयोजित किया था। "स्वर्ण प्राशन" आयुर्वेद की विशिष्ट विधियों में से एक था और वर्तमान परिदृश्य में, यह काफी प्रासंगिक भी है। इसलिए, रा.आ.वि. ने 27 जुलाई, 2020 को परामर्श के माध्यम से छात्रों, गुरुजनों, शिक्षकों और आयुर्वेदों के बीच इस निर्दिष्ट प्रक्रिया की समझ को अद्यतन किया था। यह सम्मान की बात थी कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय थे और इस अवसर पर वैद्य देवेंद्र त्रिगुण, अध्यक्ष, शासी निकाय, रा.आ.वि., श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय, वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, डॉ. के.आर. कोहली, निदेशक, आयुष निदेशालय, महाराष्ट्र, प्रो. अभिमन्यु कुमार, कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ. राजगोपाल एस., एसोसिएट प्रोफेसर, कुमारभृत्य विभाग, एआईआईए और वैद्य अनुपम श्रीवास्तव, निदेशक, रा.आ.वि. ने एवं अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया था और अपने विचार साझा किए थे। वर्चुअल कार्यक्रम में 1000 से अधिक दर्शकों ने भाग लिया था।

(द) आयु संवाद अभियान

सचिव, आयुष मंत्रालय ने देश भर में आयुर्वेद सिद्धांतों के बारे में लोगों का जागरूक करने के लिए व्याख्यान श्रृंखला के रूप में **"आयु संवाद"** अभियान को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। यह अभियान 5वें आयुर्वेद विषय "कोविड–19 महामारी के लिए आयुर्वेद" के अनुसरण में था। श्रृंखला का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विषय के व्यापक प्रचार के साथ–साथ जनता के बीच प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करना था।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (रा.आ.वि.), नई दिल्ली ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। रा.आ.वि. द्वारा गुरुजनों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम/वार्तालापों का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें अभियान के उद्देश्य से अवगत कराया गया था, एआईआईए द्वारा प्रदान की गई अभियान सामग्री का उपयोग करने वाले आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा

करना, सामग्री की एकरूपता के अनुरूप पूरे भारत में लोगों द्वारा बेहतर समझ के लिए पीपीटी का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना और जन–जन तक पहुँचाना है। प्रासंगिक अभियान सामग्री (बुकलेट, पीपीटी और फिल्म) लिंक भी परिचालित किए गए और संदर्भ के लिए रा.आ.वि. की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। रा. आ.वि. के गुरुजनों को सलाह दी गई थी और इस तरह की गतिविधियों को उनके संबंधित छोर पर करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। उपरोक्त अवधि के दौरान, रा.आ.वि. के गुरुजनों ने लोगों को सफलतापूर्वक कोविड–19 की स्थिति में आयुर्वेद की प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड (अपने स्वयं के परिसर/क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के अनुसार) के माध्यम से व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की थी।

वर्तमान महामारी की स्थिति में, जहां जनसमूह को प्रतिबंधित किया गया है, गुरुजनों द्वारा अन्य कदम भी उठाए गए थे, जैसे कि रेडियो एफएम पर वार्ता, प्रमुख समाचार पत्रों में लेख, पैम्फलेट वितरण, ऑनलाइन प्रशिक्षण, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेक्स्ट मैसेज जैसे सोशल मीडिया का उपयोग आदि। 54 ऑनलाइन और 100 ऑफलाइन व्याख्यान आयोजित किए गए और 11,08,606 लोग इससे लाभान्वित हुए और रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंप दी गई।

5.6 प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री

वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने **₹ 4,52,313/–(रुपये चार लाख बावन हजार तीन सौ तेरह मात्र)** मूल्य के अपने प्रकाशनों की बिक्री की थी।

5.7. अन्य क्रिया–कलाप

सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन

यह विद्यापीठ प्रधान कार्यालय के रूप में आयुष मंत्रालय की सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) का कार्यान्वयन करता रहा है। ये कार्यक्रम देश भर की चुनिंदा संस्थाओं में शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और आयुष तंत्र के अन्य कार्मिकों के ज्ञान को उन्नत

बनाने और उन्हें संबंधित विषयों में रोग निदान, उपचार, औषध आदि के क्षेत्रों में प्रगति एवं अनुसन्धान परिणामों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किये गए थे। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा आयुष एवं एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग एवं आयुष के अन्य विषयों में पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी।

वर्ष 2020–21 के दौरान, पात्र संस्थानों के लिए प्रतिपूर्ति कुल जी.आई.ए. ₹ 575.00 की निधियां जारी की गई हैं और कुल 05 सी.एम.ई कार्यक्रम/परियोजनाएं को मूर्त रूप दिया गया है जिसमें आयुष कर्मियों के लिए आईटी क्षेत्र में 04 वेब/आईटी आधारित कार्यक्रम और 01 सीएमई शामिल है।

इसके अलावा 2020–21 के दौरान, 32 लंबित पड़े हुए ₹ 309.40 की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का परिसमापन भी किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान अध्यापकों एवं चिकित्सकों के लिए आयुष के जारी किए गए सीएमई कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	संस्थानों की संख्या	कार्यक्रम
		सरकारी+निजी	
1	दिल्ली	2+0	वेब आधारित (ऑनलाइन) शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 2 परियोजनाएं
2	केरल	0+1	वेब आधारित (ऑनलाइन) शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 2 परियोजनाएं
3	कर्नाटक	0+1	आयुष प्रशासकों/विभागों/संस्थानों के प्रमुखों को आईटी में 3–दिवसीय प्रशिक्षण
कुल		**2+2=04**	**05**

6. बजट और व्यय :

वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने ₹ 985.72 लाख (जीआईए सामान्यः ₹ 816.96 लाख, जीआईए वेतनः ₹ 76.09 लाख, जीआईए पूँजीः ₹ 10.00 लाख, जीआईए सीएमई–आरएसबीकेः ₹ 45.67 लाख और जीआईए सीएसएसएसः ₹ 37.00 लाख) का अनुदान आयुष मंत्रालय से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 32.53 लाख (जीआईए वेतनः ₹ 23.91 लाख, जीआईए एसएपीः ₹ 2.62 लाख और जीआईए सीएमईः ₹ 6.00 लाख) का अप्रयुक्त अनुदान था। वर्ष के दौरान जीआईए सामान्य ₹ 1.26 लाख के तहत इसकी अपनी प्राप्तियाँ हस्तांतरित की गई। विद्यापीठ ने ₹ 900.36 लाख (जीआईए सामान्यः ₹ 806.43 लाख, जीआईए वेतनः ₹ 93.15 लाख और जीआईए सामान्य–स्वच्छ भारत अभियानः ₹ 0.78 लाख) का उपयोग किया और 31 मार्च, 2021 के अन्त तक ₹ 119.15 लाख (जीआईए सामान्यः ₹ 11.79 लाख, जीआईए वेतनः ₹ 6.85 लाख, जीआईए एसएपीः ₹ 1.84 लाख, जीआईए पूँजीः ₹ 10.00 लाख, जीआईए सीएमईः ₹ 6.00 लाख, जीआईए सीएमई–आरएसबीकेः ₹ 45.67 लाख और जीआईए सीएसएसएसः ₹ 37.00 लाख) बिना खर्च हुए शेष रह गए।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम–1971 की धारा 20 (1) के अधीन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (विद्यापीठ) के 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार संलग्न की गई उस वर्ष की तिथि को समाप्त किए गए तुलऩपत्र और आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा कर ली है। यह लेखापरीक्षा 2020–21 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। यह वित्तीय विवरण राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो की हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है ।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण, अभिपुष्टि संबंधित सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण करने वाले मानकों इत्यादि के संबंध में लेखा–अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां मौजूद हैं। कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने, अपनी लेखापरीक्षा को भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन इस तरह से करें, कि यह उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त (वर्णीकृत) गलत विवरणों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई धनराशि एवं प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच एक परीक्षण के आधार पर करना शामिल होता है। एक लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों एवं किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आंकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हम विश्वास करते है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि:

(i) हमने वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में शामिल किए गये तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखे एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गए हैं।

(iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा लेखा–बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी बहियों का जांच करने से पता चलता है ।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :–

क. तुलन पत्र

क.1 संपत्ति

क.1.1 चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) – ₹ 2.50 करोड़

क.1.1.1 विद्यापीठ ने संगोष्ठियों और सम्भाषा कार्यशालाओं में मुफ्त वितरण के लिए अपना प्रकाशन प्रकाशित किया। हालांकि, वितरण के बाद, इन प्रकाशनों का स्टॉक विद्यापीठ के पास उपलब्ध है और इन प्रकाशनों को बेचकर अपनी आय अर्जित कर रहा है। विद्यापीठ में संगोष्ठियों के प्रकाशन के लिए ₹ 3.91 लाख और सम्भाषा कार्यशालाओं के ₹ 4.21 लाख (लागत के आधार पर) का स्टॉक है, लेकिन इसे माल–सूची के तहत प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू संपत्तियों (माल–सूची) को कम बताया गया और व्यय को ₹ 8.12 लाख से अधिक बताया गया।

ख. आय और व्यय खाता

ख.1 विद्यापीठ ने कार्यालय किराए के रूप में 01.03.2021 से 28.02.2022 की अवधि के लिए ₹ 19.62 लाख की राशि का भुगतान किया और वर्ष के दौरान पूरी राशि को व्यय के रूप में बुक किया। इसमें से ₹ 17.99 लाख अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित थे और इसे चालू संपत्ति (अग्रिम) के तहत दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त शीर्ष के तहत ₹ 17.99 लाख के

गैर–प्रतिबिंब के परिणामस्वरूप इस राशि से व्यय को अधिक बताया गया और चालू परिसंपत्तियों को कम बताया गया।

ख.2 विद्यापीठ ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्न तीन संस्थानों अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को ₹ 45 लाख (₹ 15 लाख प्रत्येक) का भुगतान किया। जांच से पता चला कि विद्यापीठ ने इसे अग्रिम के रूप में मानने के बजाय 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत व्यय के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक बताया गया और अग्रिमों (वर्तमान परिसंपत्तियों) को ₹ 45 लाख से कम बताया गया।

ग. सामान्य

ग.1 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना संख्या एफ–11/14/2013–पीआर दिनांक 02.02.2015 निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि का निवेश विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों (45 से 55% तक), ऋण प्रतिभूतियों (35 से 45% तक), अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों (5% तक), इक्विटीज (5 से 15% तक), संपत्ति समर्थित विश्वास संरचना (5% तक) में किया जाना चाहिए। हालाँकि, विद्यापीठ ने ₹ 1.06 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया था जोकि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार नहीं था।

घ. सहायता अनुदान :

वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने ₹ 985.72 लाख (जीआईए सामान्यः ₹ 816.96 लाख, जीआईए वेतनः ₹ 76.09 लाख, जीआईए पूँजीः ₹ 10.00 लाख, जीआईए सीएमई–आरएसबीकेः ₹ 45.67 लाख और जीआईए सीएसएसएसः ₹ 37.00 लाख) का अनुदान आयुष मंत्रालय से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 32.53 लाख (जीआईए वेतनः ₹ 23.91 लाख, जीआईए एसएपीः ₹ 2.62 लाख और जीआईए सीएमईः ₹ 6.00 लाख) का अप्रयुक्त अनुदान था। वर्ष के दौरान जीआईए सामान्य ₹ 1.26 लाख के तहत इसकी अपनी प्राप्तियाँ हस्तांतरित की गई। विद्यापीठ ने ₹ 900.36 लाख (जीआईए सामान्यः ₹ 806.43 लाख, जीआईए वेतनः ₹ 93.15 लाख और जीआईए सामान्य–स्वच्छ भारत अभियानः ₹ 0.78 लाख) का उपयोग किया और

31 मार्च, 2021 के अन्त तक ₹ 119.15 लाख (जीआईए सामान्यः ₹ 11.79 लाख, जीआईए वेतनः ₹ 6.85 लाख, जीआईए एसएपीः ₹ 1.84 लाख, जीआईए पूँजीः ₹ 10.00 लाख, जीआईए सीएमईः ₹ 6.00 लाख, जीआईए सीएमई–आरएसबीकेः ₹ 45.67 लाख और जीआईए सीएसएसएसः ₹ 37.00 लाख) बिना खर्च हुए शेष रह गए।

ड़. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें विद्यापीठ के प्रबंधन के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी किया गया है।

i. पूर्ववर्ती परिच्छेदों में हमारे निरीक्षणों के अध्यधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल किये गए तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

ii. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य स्थिति दर्शाते हैं;

   (क) जहां तक इसका सम्बन्ध है यह 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के कार्यों से सम्बन्धित तुलनपत्र से हैः और

   (ख) जहां तक इसका संबंध है उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय एवं व्यय से है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–

(अशोक सिन्हा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.12.2021

अनुलग्नक

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

विद्यापीठ में आंतरिक लेख परीक्षा विंग स्थापित नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 तक किया गया है।

(2) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों के लिए प्रबंधकों का उत्तर प्रभावी नहीं था, क्योंकि 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2016 तक आंतरिक लेखा परीक्षा के 15 और 7 बाह्या लेखापरीक्षा पैराग्राफ बकाया थे।

(3) अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :

वर्ष 2020–21 की अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

(4) स्टॉकों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :

पुस्तकों एवं प्रकाशनों, लेखन सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2020–21 तक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

(5) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

दिनांक 31–3–2021 की स्थिति के अनुसार कोई भी सांविधिक देय छः माह से अधिक समय से बकाया नहीं था।

अस्वीकरण / Disclaimer

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

धनराशि (रु)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
समग्र / पूंजीगत निधि	1	48,05,086.00	44,70,864.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	59,05,240.00	47,73,468.00
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर–जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	2,84,85,488.00	1,61,38,650.00
कुल		**3,91,95,814.00**	**2,53,82,982.00**
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ	8	9,09,128.00	7,01,390.00
निवेश–उद्दिष्ट / अक्षय निधि से	9	-	-
निवेश–अन्य	10	1,32,79,910.00	1,06,55,904.00
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	2,50,06,766.00	1,40,25,688.00
विविध–व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**3,91,95,814.00**	**2,53,82,982.00**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 24
आकस्मिक दायित्व व लेखा सम्बन्धी टिप्पणियाँ 25

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02–06–2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

धनराशि (रु.)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं / बिक्री से आय	12	-	-
अनुदान / आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	13	8,97,01,932.00	8,74,29,735.00
शुल्क / अंशदान	14	2,37,011.00	3,17,882.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट / अक्षय निधि पर निवेश करने से आय। निधियों का निधियों में अन्तरण)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से होने वाली आय	16	4,72,589.00	7,58,353.00
अर्जित ब्याज	17	6,117.00	4,439.00
अन्य आय	18	2,19,140.00	772.00
तैयार माल के भण्डार और चालू कार्य में वृद्धि / ह्रास	19	3,23,399.00	58,485.00
कुल (क)		9,09,60,188.00	8,85,69,666.00
घटाएः मूल्यह्रास के कारण आंतरिक सृजन को जीआईए सामान्य में हस्तांतरित		1,26,484.00	1,34,485.00
कुल (क) ब्याज आय के हस्तांतरण के बाद		9,08,33,704.00	8,84,35,181.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	6,96,08,488.00	7,33,38,026.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	1,99,66,960.00	1,39,87,549.00
अनुदान, आर्थिक सहायता पर खर्च	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में शुद्ध जोड़ अनुसूची 8 के तद्नुरूप)		1,26,484.00	1,04,160.00
कुल (ख)		8,97,01,932.00	8,74,29,735.00
खर्च की तुलना में आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)		11,31,772.00	10,05,446.00
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में / उससे अन्तरण			
अधिशेष / (घाटे) से बचे शेष को समग्र / पूंजीगतनिधि में अग्रेनीत किया गया		11,31,772.00	10,05,446.00

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 24

आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ 25

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02–06–2021

तुलनपत्र के लिए अनुसूचियाँ :

धनराशि (रु.)

अनुसूची–1– समग्र / पूंजीगतनिधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	44,70,864.00		44,56,864.00	
जोड़ें– समग्र / पूंजीगतनिधि के लिए अंशदान	3,34,222.00	48,05,086.00	14,000.00	44,70,864.00
वर्ष के अन्त में शेष		**48,05,086.00**		**44,70,864.00**

अनुसूची–2 आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
सामान्य आरक्षित निधि (खर्च की तुलना में आय की अधिकता)				
पिछले खाते के अनुसार	47,73,468.00		37,68,022.00	
जोड़ें:–वर्ष के दौरान जोड़ा गया	11,31,772.00	59,05,240.00	10,05,446.00	47,73,468.00
कुल		**59,05,240.00**		**47,73,468.00**

	निधि अनुसार ब्यौरा		कुल	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची–3–निर्धारित / बन्दोबस्ती निधियाँ				
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष	-		-	
ख) निधियों के लिए अतिरिक्त	-		-	
i) दान / अनुदान				
ii) निधियों से किए गए निवेश से आय				
iii) अन्य परिवर्धन				
कुल (क + ख)		-		-

i) पूँजीगत व्यय	-		-	
– अचल परिसम्पत्ति				
– अन्य				
कुल				
ii) राजस्व व्यय	-		-	
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
– किराया				
– अन्य प्रशासनिक व्यय				
कुल				
कुल (ग)		-		-
वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार शुद्ध शेषः– (क+ख+ग)				

टिप्पणियाँ

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दिखाया जाना है और उसे किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है।

अनुसूची–4–प्रतिभूति सहित ऋण एवं उधार	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) ब्याज उपार्जित एवं देय				
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
– उपार्जित ब्याज एवं देयता				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
– उपार्जित ब्याज एवं देयता				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–5 प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. सावधि जमा	-		-	
8. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–6 आस्थगित ऋण दायित्वताएं	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) पूँजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक रखकर रक्षित स्वीकृतियां	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–7 मौजूदा दायित्वताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) मौजूदा दायित्वताएं				
1. सांविधिक दायित्वताएं				
(क) भविष्य निधि में अंशदान				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	69,82,985.00		57,76,044.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	17,91,650.00		15,39,535.00	
घटाएं –वर्ष के दौरान आहरण	71,951.00	87,02,684.00	3,32,594.00	69,82,985.00
2. अन्य मौजूदा दायित्वताएं				
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सामान्य)	11,79,575.00		-	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए वेतन)	6,84,820.22		23,90,684.46	
अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए स्वच्छ भारत अभियान)	1,83,602.00		2,61,882.00	
अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएमई)	6,00,000.00		6,00,000.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए पूंजी)	10,00,000.00		-	

– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएमई आरएसबीके)	45,67,000.00		-	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएसएसएस)	37,00,000.00		-	
– समग्र निधियाँ (सेवानिवृत्ति)	50,94,827.00		44,54,650.00	
– बयाना धनराशि	24,000.00		19,000.00	
– अन्य प्रभार शीर्ष	2,44,919.76		1,13,232.84	
– आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले सम्रग अचल संपत्तियां पर अर्जित ब्याज	1,68,658.00		-	
– आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले 7वें सीपीसी का प्रभाव	11,45,000.00		-	
– अन्य शुल्क सीएमई को वापस किया जाने वाले पर अर्जित ब्याज	78,739.00		-	
– आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले जीआईए पर अर्जित ब्याज	6,92,162.00	1,93,63,303.00	5,46,048.00	83,85,497.00
कुल (क)		**2,80,65,987.00**		**1,53,68,482.00**
(ख) प्रावधान	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. कराधान के लिए	-		-	
2. ग्रेच्युटी	2,37,481.00		3,77,056.00	
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-		-	
4. संचित अवकाश भुगतान	1,82,020.00		3,93,112.00	
5. व्यापार वारंटियां / दावे	-		-	
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	4,19,501.00	-	7,70,168.00
कुल (ख)		**4,19,501.00**		**7,70,168.00**
कुल (क +ख)		**2,84,85,488.00**		**1,61,38,650.00**

अनुसूची–8 : अचल सम्पत्ति
वित्तीय वर्ष –2020–21

धनराशि (रु.)

विवरण	मूल्यह्रास दर	सकल सम्पत्तियां					मूल्य ह्रास				शुद्ध कुल सम्पत्तियाँ	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वृद्धि (30.09. 2020 तक)	वृद्धि (30.09.2020 के बाद)	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अन्त तक कुल	चालू वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार	पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार
क) अचल परिसम्पत्ति												
1. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	15%	9,899.08	-	-		9,899.08	3,727.45	926.00		4,653.44	**5,245.65**	**6,171.65**
2. फर्नीचर एवं फिक्सर	10%	9,00,988.82	-	1,22,536.00		10,23,524.82	5,08,358.53	45,390.00		5,53,748.53	**4,69,776.28**	**3,92,630.28**
3. कार्यालय उपकरण	15%	8,32,644.97	-	89,405.00		9,22,049.97	6,55,166.95	33,327.00		6,88,493.94	**2,33,556.02**	**1,77,478.02**
4. कम्प्यूटर एवं उससे सम्बद्ध उपकरण	40%	3,53,769.00	-	1,19,613.00		4,73,382.00	3,51,627.13	24,780.00		3,76,407.13	**96,975.92**	**2,142.92**
5. पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	3,95,609.09	2,668.00	-		3,98,277.09	3,85,414.46	5,145.00		3,90,559.46	**7,717.63**	**10,194.63**
6. वायु–शीतलन उपकरण	15%	2,12,706.40	-	-		2,12,706.40	1,07,900.40	15,721.00		1,23,621.40	**89,085.00**	**1,04,806.00**
7. विद्युत उपकरण	15%	16,499.00	-	-		16,499.00	8,532.37	1,195.00		9,727.37	**6,771.62**	**7,966.62**
चालू वर्ष का योग		**27,22,116.36**	**2,668.00**	**3,31,554.00**	**0.00**	**30,56,338.36**	**20,20,727.28**	**1,26,484.00**	**0.00**	**21,47,211.28**	**9,09,128.00**	**7,01,390.00**
पिछला वर्ष		**30,19,763.44**	**14,000.00**	**0.00**	**3,11,647.08**	**27,22,116.36**	**21,42,732.58**	**1,04,160.00**	**2,26,165.74**	**20,20,727.28**	**7,01,390.00**	**8,77,031.00**
ख) पूँजीगत चालू कार्य												
कुल		**27,22,116.36**	**2,668.00**	**3,31,554.00**	**-**	**30,56,338.36**	**20,20,727.28**	**1,26,484.00**		**21,47,211.28**	**9,09,128.00**	**7,01,390.00**

अतिरिक्त अचल परिसम्पत्ति का विवरण

	क्रय करने की तारीख	उपयोग करने की तारीख	धनराशि (रु. में)
फर्नीचर एवं फिक्सर	**27.03.2021**	**27.03.2021**	**1,22,536.00**
कार्यालय उपकरण	**28.10.2020**	**28.10.2020**	**33,990.00**
	18.12.2020	**18.12.2020**	**53,165.00**
	18.01.2021	**18.01.2021**	**2,250.00**
कम्प्यूटर एवं उससे सम्बद्ध उपकरण	**27.03.2021**	**27.03.2021**	**1,19,613.00**
पुस्तकालय की पुस्तकें	**28.07.2020**	**28.07.2020**	**2,668.00**

अनुसूची–9 निर्धारित / बन्दोबस्ती निधियों से किए गए निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ में	-		-	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ में	-		-	
3. शेयरों में	-		-	
4. ऋण पत्रों एवं बंध पत्रों में	-		-	
5. सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में	-		-	
6. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी है)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–10 निवेश – अन्य	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि जमा				
– अंशदायी भविष्य निधि	76,38,033.00		62,02,186.00	
– समग्र निधि (सेवानिवृत्ति)	56,41,877.00	1,32,79,910.00	44,53,718.00	1,06,55,904.00
कुल		**1,32,79,910.00**		**1,06,55,904.00**

अनुसूची–11 मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. <u>मौजूदा परिसम्पत्तियाँ,</u>				
1. माल सूचियाँ				
– आयुर्वेदिक पुस्तकों का प्रकाशन	5,26,993.00	5,26,993.00	2,03,594.00	2,03,594.00
2. हस्तगत नकद शेष (चेक / ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	-		-	
3. बैंक शेषः–				
– जीआईए सामान्य	37,29,292.98		75,73,432.76	
– जीआईए वेतन	6,84,821.04		23,90,685.12	
– अंशदायी भविष्य निधि	10,64,651.00		7,80,799.00	
– समग्र निधि	41,109.00		7,71,100.00	
– जीआईए सामान्य (स्वच्छ भारत अभियान)	1,83,601.75		2,61,881.99	
– अन्य शुल्क–आरओटीपी	3,23,658.76		1,13,232.84	
– जीआईए सीएमई	6,00,000.00		6,00,000.00	
– जीआईए पूंजी	10,00,000.00		-	
– जीआईए सीएमई आरएसबीके	45,67,000.00			
– जीआईए सीएसएसएस	37,00,000.00			
– आईसीआईसीआई जीआईए सामान्य	83,59,010.00	2,42,53,145.00	-	1,24,91,132.00
कुल (क)		**2,47,80,138.00**		**1,26,94,726.00**

ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1.नकद/अन्य प्रकार से वसूल किए जाने योग्य अग्रिम एवं अन्य धनराशियाँ				
– श्री एम.आर.गिरी से वसूली जाने वाली धनराशि	44,390.00		44,390.00	
– मोटर साइकिल अग्रिम	57,532.00		55,003.00	
– आकस्मिक अग्रिम	48,990.00		11,89,129.00	
– प्रतिभूति जमा – विज्ञान भवन	75,276.00		-	
– मकाओं को अग्रिम	-	2,26,188.00	41,990.00	13,30,512.00
– त्योहार अग्रिम				
– पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार	450.00		450.00	
– घटाएं : वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	-	450.00	-	450.00
कुल (ख)		**2,26,638.00**		**13,30,962.00**
कुल (क +ख)		**2,50,06,766.00**		**1,40,25,688.00**

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

धनराशि (रु.)

अनुसूची–12 बिक्री से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
बिक्री	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–13 अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(अटल अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता(सब्सिडी)				
1. केन्द्रीय सरकार–				
जीआईए सामान्य				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	-		2,26,46,015.00	
जोड़ें–चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन	1,26,484.00		1,34,485.00	
जोड़ें–सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	8,16,96,100.00		5,71,54,000.00	

कुल सहायता अनुदान	8,18,22,584.00		7,99,34,500.00	
घटाएं – अनुदान पूंजीकृत	3,34,222.00		14,000.00	
	8,14,88,362.00		7,99,20,500.00	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	11,79,575.00	8,03,08,787.00	-	7,99,20,500.00
जीआईए वेतन				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	23,90,685.22		12,37,699.46	
सरकार से प्राप्त अनुदान	76,09,000.00		86,12,000.00	
कुल सहायता अनुदान	99,99,685.22		98,49,699.46	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	6,84,820.00	93,14,865.00	23,90,684.46	74,59,015.00
जीआईए सीएमई				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	6,00,000.00		-	
सरकार से प्राप्त अनुदान	-		6,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	6,00,000.00		6,00,000.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	6,00,000.00	-	6,00,000.00	-
<u>जीआईए सामान्य – स्वच्छ भारत अभियान</u>				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	2,61,882.00		1,12,102.00	
सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	-		2,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	2,61,882.00		3,12,102.00	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	1,83,602.00	78,280.00	2,61,882.00	50,220.00
जीआईए पूँजी				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	-		-	
सरकार से प्राप्त अनुदान	10,00,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	10,00,000.00		0.00	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	10,00,000.00		-	
जीआईए सीएमई – आरएसबीके				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	-		-	
सरकार से प्राप्त अनुदान	45,67,000.00		-	

कुल सहायता अनुदान	45,67,000.00		-	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	45,67,000.00		0.00	
जीआईए अन्य अनुदान – सीएसएसएस				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	-		-	
सरकार से प्राप्त अनुदान	37,00,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	37,00,000.00		-	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	37,00,000.00		0.00	
कुल		**8,97,01,932.00**		**8,74,29,735.00**

अनुसूची–14–शुल्क/अंशदान	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. आवेदन शुल्क* (पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त)	2,37,011.00	2,37,011.00	3,17,882.27	3,17,882.00
कुल		**2,37,011.00**		**3,17,882.00**

* आवेदन शुल्क की कुल आय रुपये 13,82,011/– में से जोकि रुपये 11,45,000/– का 7वीं सीपीसी बकाया की प्रभाव से वेतन शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनुसूची–15 निवेश से आय	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
(उद्दिष्ट/बन्दोबस्ती निधियों के निवेश से निधि में आय का अन्तरण)				
1. ब्याज	-		-	
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बंध पत्रों (बाण्डों)/ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर				
2. लाभांश	-		-	
क) शेयरों पर				
ख) म्युचुअल फण्ड सिक्युरिटीज पर				
3. किराया	-		-	
4. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–16–रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. रॉयल्टी से आय	-		-	
2. प्रकाशन से आय	4,52,312.00		7,54,015.00	
3. अन्य – डाक से आय	20,277.00	4,72,589.00	4,338.00	7,58,353.00
कुल		**4,72,589.00**		**7,58,353.00**

अनुसूची–17–अर्जित ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बजट खातों एवं सावधि जमाओं पर :				
(क).अनुसूचित बैंकों में–भारतीय स्टेट बैंक**	-		-	
(ख). सावधि जमाओं पर ब्याज***	-	-	-	-
2. अन्य प्राप्तियों पर				
(क) शिक्षावृत्ति	3,588.00		1,910.00	
(ख) मोटर साइकिल अग्रिम	2,529.00	6,117.00	2,529.00	4,439.00
कुल		**6,117.00**		**4,439.00**

**जीआईए सामान्य पर अर्जित ब्याज रुपये 6,92,162/– अनुसूची 7, वर्तमान देनदारियों के तहत आयुष मंत्रालय के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है।

***कॉपर्स सावधि जमा पर अर्जित ब्याज रुपये 1,68,658/– (कुल रुपये 5,88,159/– से सेवानिवृत्ति लाभ व्यय रुपये 4,19,501/– को समायोजित करने के बाद) अनुसूची 7, वर्तमान देनदारियों के तहत आयुष मंत्रालय के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है।

अनुसूची–18–अन्य आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	2,06,625.00		-	
(ख) विविध आय	12,515.00	2,19,140.00	772.00	772.00
कुल		**2,19,140.00**		**772.00**

अनुसूची–19–तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का समापन।	5,26,993.00		2,03,594.00	
(ख) घटाएं– प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का अधशेष।	2,03,594.00	3,23,399.00	1,45,109.00	58,485.00
शुद्ध वृद्धि/ (कमी) {क–ख}		**3,23,399.00**		**58,485.00**

अनुसूची–20–स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
जीआईए सामान्य				
(क) मजदूरी	22,73,038.00		21,55,317.00	
(ख) वजीफा / शिक्षावृत्ति				
– शिष्यों को शिक्षावृत्ति	3,86,57,183.00		4,26,17,042.00	
(ग) व्यावसायिक सेवाएं				
– गुरुजनों को मानदेय	1,90,97,322.00		2,08,18,922.00	
– लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक / व्यावसायिक शुल्क	2,66,080.00	6,02,93,623.00	2,87,730.00	6,58,79,011.00
जीआईए वेतन				
(क) वेतन				
– वेतन व्यय	92,22,066.08		66,87,713.68	
– अन्य भत्ते	80,000.00		1,133.00	
– कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ***	12,798.00	93,14,865.00	7 ,70,168.00	74,59,015.00
कुल		**6,96,08,488.00**		**7,33,38,026.00**

**कुल सेवानिवृति लाभ व्यय रुपये 4,32,299 / – में से रुपये 4,19,501 / – आंतरिक सृजन से समायोजित (अर्थात् कार्पस सावधि जमा पर ब्याज)।

अनुसूची–21: अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
जीआईए सामान्य				
(क) कार्यालय व्यय				
– बैंक प्रभार	4,888.78		4,370.10	
– विविध व्यय	3,70,438.00		1,30,894.00	
– चिकित्सा व्यय	62,517.00		36,585.00	
– मरम्मत और रखरखाव	2,66,436.00		64,027.00	
– समाचारपत्र एवं पत्र–पत्रिकाएं	25,105.00		8,052.00	
– विद्युत एवं ऊर्जा	1,86,300.00		2,66,870.00	
– जल प्रभार	26,268.00		39,533.00	
– डाक प्रभार	26,881.00		-	
– दूरभाष एवं संचार प्रभार	43,117.00		40,612.00	
– किराया, दर एवं कर	38,14,147.00		9,98,421.00	
(ख) प्रकाशन				
– स्वीकृत छूट	1,31,968.00		2,40,798.00	
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9,30,702.00		5,09,751.00	
(ग) घरेलू यात्रा				
– यात्रा एवं वाहन व्यय	17,16,760.00		21,58,713.00	
(घ) विदेश यात्रा				
– यात्रा और वाहन व्यय	-		4,24,330.00	

(ड.) अन्य प्रशासनिक व्यय				
– शोध प्रबन्ध एवं परीक्षा पारिश्रमिक / बैठक–प्रभार / मानदेय / बैठक शुल्क	2,84,613.00		2,80,040.00	
– राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस	-		17,12,782.00	
– प्रत्यायन	16,11,231.00		6,15,834.00	
– सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम	-		4,40,774.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– पुणे	-		4,72,043.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– अहमदाबाद	-		3,82,704.00	
– सूचना प्रौद्योगिकी	3,65,932.00		14,36,966.00	
– दीक्षांत व्यय / सम्मेलन व्यय	32,84,117.00		17,93,645.00	
– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	-		56,481.35	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,62,500.00		-	
– फैलोशिप कार्यक्रम (सुपर स्पेशियलिटी)	4,500,000.00		-	
(च) विज्ञापन एवं प्रचार				
– विज्ञापन व्यय	19,74,759.00	1,98,88,680.00	18,23,104.00	1,39,37,329.00
जीआईए सामान्य–स्वच्छ भारत अभियान				
– स्वच्छ भारत अभियान	78,280.24	78,280.00	50,220.16	50,220.00
कुल		**1,99,66,960.00**		**1,39,87,549.00**

अनुसूची–22: अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) संस्था / संगठनों को दिया गया अनुदान	-		-	
ख) संस्था / संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–23: ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) सावधि ऋणों पर	-		-	
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार को सम्मिलित करते हुए)	-		-	
कुल		-		-

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे

धनराशि (रु)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारम्भिक शेष			**1.व्यय**		
भारतीय स्टेट बैंक–सामान्य	75,73,432.76	99,86,555.59	क) स्थापना व्यय (अनुसूची–20)	6,96,08,487.08	7,25,11,376.33
भारतीय स्टेट बैंक–वेतन	7,71,100.00	13,24,004.80	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21)	1,99,66,960.02	1,39,31,068.26
भारतीय स्टेट बैंक सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	23,90,685.12	1,12,102.15			
भारतीय स्टेट बैंक में कॉपर्स	2,61,881.99	6,98,932.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि से किया गया भुगतान**	-	-
भारतीय स्टेट बैंक अन्य व्यय	1,13,232.84	1,15,447.60			
भारतीय स्टेट बैंक सीएमई	6,00,000.00	-	**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
II.प्राप्त अनुदान			क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि में से	6,00,000.00	6,98,000.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			ख) प्रतिभूति जमा	75,276.00	
क) सामान्य	8,16,96,100.00	5,71,54,000.00	**IV. अचल परिसम्पत्ति/पूँजीगत प्रगति पर व्यय**		
ख) वेतन	76,09,000.00	86,12,000.00	क) अचल सम्पत्ति का क्रय	3,34,222.00	14,000.00
ग) स्वच्छ भारत अभियान	-	2,00,000.00	ख) पूँजीगत प्रगति पर व्यय	-	-
घ) सीएमई	-	6,00,000.00			
ड़) जीआईए पूँजी	10,00,000.00	-	**V. अधिशेष धनराशि/ऋण की वापसी**		
च) सीएमई आरएसबीके	45,67,000.00	-			
छ) अन्य अनुदान – सीएसएसएस	37,00,000.00	-	**VII. वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	
III.निवेशों से आय			**VII. अन्य भुगतान**	-	-
क) अचल सम्पति का विक्रय	-	29,000.00	क) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	16,10,000.00	24,20,390.00
			ख) अन्य प्रभार शीर्ष	20,03,313.08	20,02,214.76
			ग) मंत्रालय को वापस किया गया बचत खाता पर ब्याज	5,46,048.00	13,61,633.00
IV.प्राप्त ब्याज					
क) बचत खाते से प्राप्त ब्याज	6,92,162.00	5,46,048.00	घ) एमएसीएओ को अग्रिम	-	41,990.00
ख) शिक्षावृत्ति वसूली से प्राप्त ब्याज	3,588.00	1,910.00	ड़) ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण	1,29,991.00	-
ग) अन्य प्रभार से ब्याज सीएमई	78,739.00	-	च) भुगतान किया गया टीडीएस	34,77,009.00	-

V. अन्य आय					
क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	2,06,625.00	-			
ख) विविध आय	12,515.00	772.00	अन्तिम शेष		
ग) आवेदन शुल्क	13,82,011.00	3,17,882.27	भारतीय स्टेट बैंक – सामान्य	37,29,292.98	75,73,432.76
घ) पुस्तकों की बिक्री	4,52,312.00	7,54,015.00	भारतीय स्टेट बैंक –कॉपर्स	41,109.00	7,71,100.00
ड़) डाक आय	20,277.00	4,338.00	भारतीय स्टेट बैंक–वेतन	6,84,821.04	23,90,685.12
VI.अन्य प्राप्तियां			भारतीय स्टेट बैंक सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	1,83,601.75	2,61,881.99
क) बयाना राशि	5,000.00	-	भारतीय स्टेट बैंक–अन्य व्यय	3,23,658.76	1,13,232.84
ख) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	2,750,139.00	21,269,262.00	भारतीय स्टेट बैंक–सीएमई	6,00,000.00	6,00,000.00
ग) अन्य प्रभार शीर्ष	2,135,000.00	2,000,000.00	भारतीय स्टेट बैंक जीआईए पूँजी	10,00,000.00	-
घ) एनआईसीएसआई से अग्रिम	-	1,021,217.00	भारतीय स्टेट बैंक सीएमई आरएसबीके	45,67,000.00	-
ड़) एमएसीएओ से वसूली गयी अग्रिम	41,990.00	-	भारतीय स्टेट बैंक सीएसएसएस	37,00,000.00	-
च) भुगतान किया गया टीडीएस	3,477,009.00	-	आईसीआईसीआई–सामान्य	83,59,010.00	-
कुल	**12,15,39,799.71**	**10,47,47,486.41**	**कुल**	**12,15,39,799.71**	**10,47,47,486.41**

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02–06–2021

अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

धनराशि (रु)

दायित्व		धनराशि	परिसम्पतियाँ		धनराशि
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान (कर्मचारियों का)			**बैंक में शेष**		
पिछले वर्ष के अनुसार	39,56,534.00		सावधि जमा में		76,38,033.00
जोड़ें–वर्ष के दौरान	8,35,135.00		बचत खाते में		10,64,651.00
घटाएं–आहरण	40,839.00				
जोड़े–कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	3,37,654.00	50,88,484.00			
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान (नियोक्ता का)	–				
पिछले वर्ष के अनुसार	30,26,451.00				
जोड़े–वर्ष के दौरान	3,85,210.00				
घटाएं–निकासियाँ	29,002.00				
जोड़ें–नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	2,31,541.00	36,14,200.00			
कुल		**87,02,684.00**	**कुल**		**87,02,684.00**

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखे

व्यय		धनराशि	आय		धनराशि
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	3,37,654.00		बैंक से ब्याज		20,843.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	2,31,541.00	5,69,195.00	सावधि जमा पर ब्याज		1,35,847.00
नियोक्ता के योगदान		3,85,210.00	ब्याज के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ का योगदान एवं अंशदान		7,97,715.00
कुल		**9,54,405.00**	**कुल**		**9,54,405.00**

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे

प्राप्तियाँ		धनराशि	भुगतान		धनराशि
प्रारम्भिक शेष					
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	39,56,534.00		कर्मचारी के अंशदान – श्री अदित		40,839.00
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	30,26,451.00	69,81,985.00	नियोक्ता के योगदान – श्री अदित		29,002.00
कर्मचारियों का अंशदान / वापसी	8,35,135.00		**बैंक में शेष**		
नियोक्ता का योगदान	3,85,210.00	12,20,345.00			
			अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	50,88,484.00	
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	3,37,654.00		अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	36,14,200.00	87,02,684.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	2,31,541.00	5,69,195.00			
कुल		**87,72,525.00**	**कुल**		**87,72,525.00**

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02–06–2021

अनुसूची –24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जहाँ कहीं भी अन्यथा कहा गया और लेखा प्रणाली की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. माल–सूची मूल्यांकन :

मालसूची बहियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

i) अचल परिसम्पत्तियाँ, अधिग्रहण की लागत के अनुसार बताई गई हैं, जिनमें अधिग्रहण से संबंधित करों, भाड़े और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया है।

ii) गैर–मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त अचल परिसम्पत्तियों को सामान्य निधि के लिए तत्सम्बन्धी ऋण द्वारा बताए गये मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

अचल परिसम्पत्तियाँ की खरीद के संबंध में सरकारी अनुदान पूँजीकृत अनुदान के रूप में माने गए हैं।

5. राजस्व मान्यता

i) पुस्तकों की बिक्री में व्यापार संबंधी कटौती एवं छूट शामिल है।

ii) सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) पर प्राप्त ब्याज को लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि इनपर परिपक्वता अवधि में विचार किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की गई हैं।

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02–06–2021

अनुसूची –25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ

1 **चालू दायित्व**

जीआईए सामान्य, जीआईए एसएपी, जीआईए वेतन, जीआईए सीएमई, जीआईए पूँजी, जीआईए सीएमई आरएसबीके, जीआईए सीएसएसएस के लिए अप्रयुक्त अनुदान को चालू दायित्व के रूप में दिखाया गया है।

2 **चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि**

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि का व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली संबंधी एक मूल्य होता है, जो कम से कम तुलनपत्र में दर्शायी गई कुल धनराशि के बराबर होता है।

3 जहाँ–कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं।

4 चालू वर्ष के आंकड़ों को रुपयों में पूर्णांकित किया गया है और अनुरूपता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को 31–03–2021 तक लिया गया है।

5 अनुसूची 1 से 25 संलग्न कर दिये गए हैं और ये 31–03–2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का एक अभिन्न अंग हैं।

6 वित्तीय वर्ष 2011–12 से अचल संपत्तियों की मान्यता पद्धति को डब्लूडीवी पद्धति से बदल कर सकल ब्लॉक कर दिया गया है और डब्लूडीपी 31.03.2010 (मूल्यह्रास से पहले) को वित्तीय वर्ष 2011–12 में सकल ब्लॉक के रूप में माना गया है।

7 वर्ष 2007–2008 से मोटर साइकिल अग्रिम पर 10% की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। अग्रिम में रुपये 25,292/– की मूल धनराशि और उस पर प्रोद्भूत रुपये 32,240/– का ब्याज शामिल है।

8 चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष के तहत् रुपये 2,26,638/– के ऋण एवं अग्रिम की अभी वसूली होनी है।

9 7वीं सीपीसी के प्रभाव के कारण रुपये 11,45,000/– को आंतरिक सृजन (आवेदन शुल्क) से आयुष मंत्रालय को वापस किया गया है।

10 आंतरिक सृजन (आवेदन शुल्क) रुपये 1,46,484/– से चालू वर्ष के व्यय को पूरा करने हेतु स्थानांतरित किया गया है।

11 वर्ष के दौरान कॉपर्स सावधि जमा पर अर्जित ब्याज रुपये 5,88,159/– है। चालू वर्ष के समायोजन के बाद रुपये 4,19,501/– का प्रावधन शेष धनराशि रुपये 1,68,658/– चालू दायित्व के तहत दिखाया गया है – "अनुसूचि–7"।

12 राजस्व (अनुदान) को वास्तविक उपयोग किए गए अनुदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02–06–2021

Lighting of the Lamp (From Right to Left) by Vaidya Achyut Kumar Tripathi, CRAV Guru, Shri Kiren Rijiju, Hon'ble Minister of State, M/o Youth Affairs and Sports, Minister In-charge M/o Ayush, Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State for Defence, Shri Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush, Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush, Shri R.M. Mishra, Secretary, Ministry of Women & Child Development and Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush Inaugurating the Convocation Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 22nd March, 2021 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

(From Left To Right) Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Shri R.M. Mishra, Secretary, Ministry of Women & Child Development, Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State for Defence, Shri Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush, Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush and Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush releasing a CD Containing Full Text of all the 20 Papers on "Ayurveda for Accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs)-3" of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 22nd March, 2021 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Administering the Oath of Shishyopanayaniya Charter for New Batch of One Year CRAV Course of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 23rd March, 2021 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Thanked and Took a Group Photo with all the RAV and Supporting Staff for Successful Conduction of 26th National Seminar, 24th Convocation and Shishyopanayaniya Programme of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 23rd March, 2021 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

CONTENT

S.No.	Subject	Page No.
	Preface	77
1	***Introduction***	79
2	***Objectives of the Vidyapeeth***	80
3	***Committees***	80
	(i) Governing Body	80
	(ii) Standing Finance Committee	82
4	***Functions of the Vidyapeeth***	83
	(i) Guru Shishya Parampara	83
	(ii) Convocation	89
	(iii) Awards of Fellowship & Life Time Achievement	90
	(iv) Conferences/Seminars	91
	(v) Interactive Workshops	91
	(vi) Samhita based Training Programme	92
	(vii) Training Programme on Research Methodology, Manuscript writing and Career opportunities	93
	(viii)Charak Ayatanam (6-days programme)	93
	(ix) Publications	94
5	***Technical Report*** *(Activities conducted during the year 2020-21)*	94
	(i) Meetings	94
	(ii) Courses of Guru Shishya Parampara	100
	(iii) Samhita based Training Programme	112

	(iv) Training Programme on Research Methodology, Manuscript writing and Career opportunities	113
	(v) GYAN GANGA – A Knowledge Voyage – Weekly Webinar Series	113
	(vi) Publications/Sale of Books	116
	(vii) Other Activities	116
6	***Budget & Expenditure***	117
7	***Separate Audit Report***	118
8	***Accounts***	123
	(i) Balance Sheet as on 31-3-2021	123
	(ii) Income & Expenditure Account as on 31-3-2021	124
	(iii) Schedules forming part of Balance Sheet as on 31-3-2021	125
	(iv) Receipt & payments Account as on 31-3-2021	134
	(v) Contributory Provident Fund- Receipts & Payments Accounts, Income & Expenditure Accounts and Balance Sheet as on 31-3-2021	136
	(vi) Significant Accounting Policies	138
	(vii) Contingent Liabilities and Notes on Accounts	139

PREFACE

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), an autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India was constituted in 1988 with an objective of revival of classical practical and textual knowledge of Ayurveda through ancient Gurukula method of learning. The targeted learners here are the fresh graduates and post graduates of Ayurveda still desirous of making themselves more proficient in classical Ayurvedic practices and principles. MRAV (Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) and CRAV (Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) are two such courses which have been started by RAV to fulfill the objectives of making Ayurvedic students more versed with classical practical and textual knowledge. So far 1199 and 71 students have completed their CRAV and MRAV respectively. For the session 2020-21, 156 students are being trained under 68 Gurus under CRAV Course. Students receive practical training in various disciplines of Ayurveda under the guidance of RAV empanelled scholars of Ayurveda throughout the country.

In view of underutilization of Ayurvedic classical methods of patient examination and subsequent treatment, RAV after perceiving the gap, has started a programme to train Ayurvedic teachers in classical diseases diagnostic methods. The focus here is on young faculties belonging to the clinical branches in order to make them proficient in such methods for its subsequent use in their clinical practice. So far, total 19 such diagnostic training programmes have been conducted at various places in the country till the year 2020-21.

During the year 2020-21, Vidyapeeth conducted its 24th convocation along with regular activity of two days National seminar. The occasion was graced by Hon'ble Minister of Ayush (IC) Shri Shripad Yesso Naik, Shri Kiren Rijiju and Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush. This year, the seminar was conducted on 'Ayurveda for accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs)-3'. The seminar was attended by many distinguished authorities of Ayurveda. The event was marked by key note addresses on various topics by eminent scholars of Ayurveda and research paper presentation by research scholars of Ayurveda. About 20

Research Papers have been presented in the seminar. A CD containing full text of all the 20 papers was also released at the occasion.

RAV also functions as a nodal agency to the Central Sector Scheme for Continuing Medical Education (CME). After review of CME proposals, total 05 CME programmes/projects consisting of 4 Web/IT based programme, 01 CME in IT sector for Ayush personnels were supported during 2020-21.

RAV is also evolving many new mechanisms to strengthen its various activities of imparting training in Ayurveda. It is also continuously exploring gaps in existing system and the ways to fill these gaps. A regular monitoring of RAV activities is also being done through various feedback and midterm appraisal mechanisms. RAV is continuously striving to excel in its field. It is striving to emerge as a dedicated centre of excellence in the area of Ayurveda skill enhancement and capacity building. RAV is taking many new initiatives in this direction which are supposed to produce tangible results in future. The Annual Report for the year 2020-21 on the activities and achievements of the Vidyapeeth along with the audit report is being presented.

(Dr. Anupam Srivastva)
Director

INTRODUCTION

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV) is an autonomous organization under the Ministry of Ayush, Govt. of India. It is fully funded by the Government of India. It is registered with the Registrar, Societies, Delhi Administration under Societies Registration Act, 1860 vide 11th February 1988. It started functioning from the year 1991 at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi -110 026.

The Vidyapeeth was established with the main aim to preserve and arrange transfer of Ayurvedic knowledge possessed by eminent Ayurvedic scholars and practitioners, to the younger generation through the Indian traditional Guru –Shishya method of education and knowledge transfer. The principal objective is to make new generation Ayurveda scholars proficient in Ayurvedic classical texts and clinical practices.

2. THE OBJECTIVES OF THE VIDYAPEETH

1. To promote the knowledge of Ayurveda.
2. To formulate schemes for continuing education and conducting examinations for the purpose in various disciplines of Ayurveda.
3. To institute due recognition to successful candidates.
4. To recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda.
5. To undertake academic work in Ayurveda of National & International importance.
6. To organize workshops and seminars in various branches of Ayurveda.
7. To maintain liaison with Professional Associations, Societies, Colleges and Universities for raising standards of Ayurvedic Education.
8. To secure and manage funds and endowments for the promotion of Ayurveda and implementation of continuing education in Ayurveda.

9. To conduct experiments of new methods of Ayurvedic education in order to arrive at satisfactory standards of education.

10. To institute professorships, other faculty position fellowships, research cadre positions and scholarships etc. for realizing the objectives of the Vidyapeeth, etc.

3. COMMITTEES

3.1. GOVERNING BODY

As per Memorandum of Association and orders of Government of India, the affairs of the Vidyapeeth are managed by its Governing Body consisting of 16 members including the President. The Governing Body (GB) was reconstituted by the Government of India as under for a period of five (5) years w.e.f. 20th February, 2019.

President of Governing Body

1. 'Padmabhusan' Vaidya Devinder Triguna,
30 – Sukhdev Vihar,
New Delhi -110 025

Government of India Nominees (Ex-officio)

2. Additional Secretary & FA,
Ministry of Health & F.W.,
New Delhi

3. Special Secretary (Ayush),
Ministry of Ayush,
New Delhi

4. Adviser (Ayurveda),
Ministry of Ayush,
New Delhi

5. Vice Chancellor,
Gujarat Ayurved University,
Jamnagar (Gujarat)

Experts nominated by Government of India.

6. **Vd. Pramod P. Sawant,**
   Hon'ble Chief Minister,
   Civil Secretariat
   Panaji (Goa)

7. **Dr. K.K. Aggarwal,**
   Jaipur (Rajasthan)

8. **Dr. Subhash Ranade,**
   Pune (Maharashtra)

9. **Vd. Varsha Deshpande,**
   Karad (Maharashtra)

10. **Vd. Rajesh Gupta,**
    Sawantwadi (Maharashtra)

Members nominated by All India Ayurveda Congress (AIAC)

11. **Dr. Rakesh Sharma**
    Chandigarh (Punjab)

12. **Vd. Dinanath Upadhyay,**
    Pune (Maharashtra)

13. **Vd. Govind Prasad Upadhyay,**
    Nagpur (Maharashtra)

One Member from Fellows of RAV

14. **Vd. Sadanand P. Sardeshmukh,**
    Pune (Maharashtra)

One Member from alumni of RAV

15. **Dr. Mohan Lal Jaiswal,**
    Jaipur (Rajasthan)

Member Secretary

16. Director, RAV

3.2. STANDING FINANCE COMMITTEE

The Ministry of Ayush reconstituted Standing Finance Committee (SFC) on 20th January, 2019 for 05 years, co-terminus with the tenure of the Governing Body. The composition of SFC is as follows:

1. Special Secretary (Ayush), Chairman (Ex-officio)
Ministry of Ayush,
Ayush Bhawan,
'B' Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-110 023

2. Additional Secretary & FA or his representative, Member (Ex-officio)
Ministry of Health & F.W.,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110 011

3. Adviser (Ayurveda), Or Member (Ex-officio)
Joint Adviser (Ayurveda), Or
Deputy Adviser
Ministry of Ayush,
Ayush Bhawan, 'B' Block,
GPO Complex, INA,
New Delhi- 110 023

4. Vaidya Dinanath Upadhyay, Member (Nominated)
(A member of GB from experts)
Pune (Maharashtra)

5. **Vd. Varsha Deshpande,** Member (Nominated)
(A member of GB from experts)
Karad (Maharashtra)

6. **Director,** Member Secretary
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

4. FUNCTIONS OF THE VIDYAPEETH

In furtherance of its objectives, the Vidyapeeth runs two types of courses under Guru Shishya Parampara viz. CRAV and MRAV. To run these courses, it empanels eminent scholars of Ayurveda and Vaidyas as Gurus and select shishyas having formal qualifications in Ayurveda desired for the courses. Besides this, Vidyapeeth also holds seminars/workshops, publishes literature and offers recognition/felicitation to the eminent scholars of Ayurveda. The MRAV Course is temporarily not operational.

4.1. GURU SHISHYA PARAMPARA

Guru Shishya Parampara is the traditional residential method of education wherein the Shishya lives in the vicinity of his Guru and undertakes the studies in a one to one manner by accompanying the guru in his regular routine clinical work. This system vanished with the disappearance of Gurukula. RAV realized that in Ayurveda, this method of knowledge transfer had been very effective and hence the Vidyapeeth is making efforts to revive this system through its courses.

In institutional form of learning only relevant portions of the Samhitas (classical texts of Ayurveda) are being taught in the form of syllabus. On the contrary, the Guru Shishya Parampara programme of RAV provides the students to study whole text to get adequate knowledge of selected Samhita and its Teeka (commentary) and exposes them traditional skills of the Ayurvedic practices. The Shishyas get sufficient time for interaction with the guru and get a live demonstration upon the patients, herbs or formulations during the course of the study.

4.1.1. COURSES:

(A) Acharya Guru Shishya Parampara (Two-year course of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth-MRAV)

This is an academic programme based upon literary research imparting the knowledge of Ayurvedic Samhitas and commentaries to participants. The main aim of this course is to prepare good teachers, research scholars and experts in Ayurveda Samhitas. The Shishya studies the Samhita, related to his/her specialization in PG course, under the guidance of the Guru for a period of 2 years. The Vidyapeeth started this course in 1992 with an objective of preparing the post graduate doctors as experts in classical texts of Ayurveda.

Candidates possessing adequate theoretical and practical knowledge and good understanding of Sanskrit are admitted to this course. At the end of the course, they are required to submit a dissertation, which is regarded as a contribution of the Shishya. Though the Shishya studies the entire Samhita (text) under the expert guidance of Guru, he/she writes dissertation only on prescribed chapters/topics as suggested by Vidyapeeth in consultation with respective Guru in order to avoid duplication of the same work.

The MRAV Course is temporarily not operational.

(B) Chikitsak Guru Shishya Parampara (One-year course of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth-CRAV)

This course was started in February, 1999. This course has the duration of one year for both Ayurvedic graduates and postgraduates. In this course, the candidates possessing Ayurvedacharya (BAMS) or equivalent degree/PG in Ayurveda are selected for training under eminent practicing Vaidyas, who are empanelled as Chikitsak Gurus. During the course of study, the students learn the procedures like Nadi Pariksha, Aushadhi Nirman, Kshar Sutra, Panchakarma, treatment of diseases, Netra Chikitsa, Asthi Chikitsa pertaining to the Ayurvedic system. Every month, the trainees are required to prepare record of the patients they studied for its subsequent submission to RAV. The work done by the Shishyas like patient history sheets, monthly study reports etc. is examined in Vidyapeeth. Suggestions for improvement are communicated to the Shishyas through their respective Gurus.

4.1.2. GURUS:

(A) Guru for Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (MRAV) course:

Scholars fulfilling the following criteria are appointed as Gurus-

A person is eligible to be appointed as Guru for MRAV course, who is a retired Professor of Ayurveda possessing PG or PhD qualification with good published recognized research work and excellent academic experience Or a retired Director of Research Institution of Ayurveda Or any other person of eminence in Ayurveda having held the post of departmental head of the State, Central/Autonomous organization and other office of repute with vast knowledge and adequate experience in academic or any specialty of Ayurveda Or eminent scholar of Ayurveda.

The Guru should be above 60 years of age, proficient in Sanskrit and in classical texts of Ayurveda. Further, he/she must have very special knowledge and skills to justify selection. In the subject of Dravyaguna, Rasa-Shastra, Bhaishjya Kalpana and other clinical subjects, the Gurus should have basic facility for demonstration or should have access to such facility/Institution in the near vicinity.

(B) Guru for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course

Eligibility criteria for Gurus (CRAV)

Following two eligibility criteria have been adopted for selection of CRAV Gurus:

1. Criteria for Individual Gurus.
2. Criteria for Institutional Gurus.

1. Criteria for Individual Gurus.

i. Ayurveda practitioners enrolled in any State Register of Indian Medicine under Section 17 of IMCC Act, 1970.

ii. Age not below 50 years.

iii. Having a minimum standing of 20 years of Ayurvedic general or specialized clinical practice in any clinical branch of Ayurveda.

iv. Shall not be employed at any place and in any position on regular basis. This condition is not barring the honorary positions other than employment.

v. Ayurveda practioners' aspirant to be a RAV Guru should have minimum OPD of 40 patients per day.

vi. In case of surgical practice besides OPD of 25 patients per day, the Vaidya must be performing at least 15 surgical/ para-surgical/ Ksharsutra/ Agni Karma procedures daily.

vii. In case of Ayurvedic Pharmacy, the Vaidya should have his own pharmacy with a minimum standing of 20 years.

viii. Willingness to train the young Ayurvedic doctors through a hands-on training method and to share their clinical knowledge and skills without any reservation.

ix. Gurus with or without IPD can be given upto 02 students and with occupancy of IPD of 20 beds and above can be given upto 04 students.

2. Criteria for Institutional Gurus (Institutional Training Centers).

i. Declared as Centre of excellence by Ministry of Ayush.

ii. Ayurvedic hospital with at least 50 IPD beds and 200 OPD patients per day.

iii. The center should have a minimum 10 years of standing.

iv. The center should be of good repute and should be well known for its Ayurvedic management of various specialized conditions.

v. In case of a pharmacy, it should have a GMP certification, facility for drug quality monitoring and an R&D department.

vi. The institution authorities should be ready to give every access to CRAV students to all the places which are related to their clinical/ pharmacy training.

vii. Up to 8 students may be given to such institutions and the chief physician/doctor of the institution and/or other senior doctors will be in-charge of training of Shishya.

(C) Empanelment:

The selection of Guru of any course is done by a Search Committee comprising of experts nominated by the Governing Body or its President. The Committee scrutinizes bio-data of scholars and Vaidyas and selects the Guru after proper discussion on his/her competence and recommends to Governing Body for empanelment. After the approval of the Governing Body the letter of empanelment is sent to guru whenever vacancy arises after receiving his/her willingness for teacher-ship and adherence to rules of the Vidyapeeth and ascertaining that facilities for training are available with him/her. Selection of Guru is purely on temporary basis for the period of one term i.e. one year in CRAV course and two years in MRAV course. The Governing Body or a Committee chaired by President, Governing Body reviews the work of Guru and accords extension whenever necessary. The appointment stands completed when there is no student under the Guru or when all the students under him/her have completed their studies/duration of study.

4.1.3. SHISHYAS:

The advertisement for admission to CRAV course was given in newspapers on all India basis, inviting applications from eligible candidates.

As per the rules of RAV, candidates with Ayurvedacharya (BAMS) or an equivalent degree are selected in CRAV course. The maximum age limit for admission in this course is 30 years for U.G. degree holders and 32 years for P.G. degree holders. Relaxation up to 35 years is given to permanently employed doctors duly sponsored by Government. The qualifications of candidates must have been recognized by CCIM.

After the scrutiny of the applications received, the eligible candidates are called for a written test. Various aspects of syllabus of graduate course with special emphasis on clinical subjects are covered in the written test based on objective questions. In the selection of the Shishya, the merit of the student, distance of 250 km (between Gurus and Students) and the preference of subject/guru are taken into the consideration. Preference is given to Medical Officers in CRAV course.

The selected candidates are required to submit a Bond to the effect that in the event of the student leaving the course in the middle or if the student is expelled for violation of rules of the Vidyapeeth, the whole amount of stipend received from the Vidyapeeth shall be refunded with 12% interest thereon. On having completed the formalities, the Shishyas are placed under the tutelage of concerned Gurus located in different parts of the country for training.

4.1.4. Honorarium and Stipend:

There is a provision of payment of honorarium to Gurus and stipend to Shishyas during the training period every month. Each guru is given 2-4 students for training. The honorarium to Guru is Rs. 15,820/- only plus DA at the rates applicable from time to time plus Rs. 5,000/- upto two students. If any Guru has more than two students, he/she shall be paid an extra honorarium at Rs. 2,000/- only per student. Similarly, the stipend for CRAV students is Rs. 15,820/- only plus DA 6th CPC at the rates applicable from time to time. For MRAV students the stipend is Rs. 15,820/- only plus DA at the applicable rates plus Rs. 2,500/- only.

4.1.5. Examination:

For the course of MRAV, the final examination is conducted at the end of 2 years in three parts :-

(a) evaluation of thesis prepared by the Shishya

(b) written examination of 03 hours duration

(c) viva - voce.

The evaluation of thesis is done on approval/rejection basis. After the thesis is approved, the Shishya is examined by written examination and viva-voce. Having obtained satisfactory report in each of the three parts of examination the Shishya is declared to have completed his/her studies successfully for the award of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth i.e., MRAV.

For the course of CRAV, the Shishya at the end of the study shall prepare a monograph of not more than 25 pages on summary of salient features of his/her learning viz. treatment of special diseases, medicines and special cases etc. and submit it to the Vidyapeeth one-month prior to the examination. They are also asked to submit a Special Case Report/Drug on some interesting case they have seen during their training period. The examination comprises of two parts :-

(a) written examination of 03 hours duration

(b) viva-voce.

The monograph, the case report and the monthly record sheets becomes the basis for written examination and viva-voce. An internal assessment of the student from his guru for the period of his training is also asked. The candidate, who secures satisfactory report in written and viva voce separately, is declared passed. Unsuccessful candidates are asked to report again to their guru for a period of three months. After this period, they are required to appear in the examination again. No stipend is paid for this additional stay with Guru.

Successful students are awarded the certificates in the Convocation.

4.1.6. Achievements:

So far, 71 students in MRAV and 1199 students in CRAV have completed their courses.

4.2. CONVOCATION

In order to fulfill the objectives of the Vidyapeeth viz. to institute due recognition to successful candidates and to recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda, the Vidyapeeth holds Convocation every year

for awarding certificates to passing out students and to felicitate eminent scholars and Vaidyas with Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV) and Life Time Achievement Award for their significant contribution to the progress of Ayurveda.

4.3. AWARD OF FELLOWSHIP

For achieving one of its objectives, the Vidyapeeth awards Fellowship to the eminent scholars of Ayurveda and practitioners of various traditional Ayurvedic practices in recognition of their scholarly expertise and contribution in the field of education, research, patient care and/or literature. This is an honorary recognition and a felicitation with a citation, a shawl and a kalash/memento presented to each awardees in the Convocation of RAV. Every year, the Governing Body determines these fellowships on the basis of the bio-data of scholars. So far, 337 scholars have been awarded Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV).

During the year 2020-21 following scholars have been awarded as FRAV:-

1. Dr. Dharmendra Singh Gangwar, New Delhi
2. Dr. Rakesh Sharma, Chandigarh (Punjab)
3. Vd. Varsha Deshpande, Karad (Maharashtra)
4. Dr. Narendra Narayandas Gujarathi, Jalgaon (Maharashtra)
5. Prof. V.K. Joshi, Varanasi (Uttar Pradesh)
6. Vaidya Milind Patil, Mumbai (Maharashtra)
7. Vaidya Vijayan Nangelil, Kothamangalam (Kerala)
8. Dr. Swpaneshwar Panda, Cuttack (Odisha)
9. Prof. Abhimanyu Kumar, Jodhpur (Rajasthan)
10. Dr. Kandarp Desai, Ahmedabad (Gujarat)
11. Vaidya Jayant Yashwant Deopujari, Nagpur (Maharashtra)

B) LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

Two eminent Ayurvedic scholars were also felicitated with Life Time Achievement awards for their significant contribution to the progress of Ayurveda:-

1. Vaidya Bhaskar Vinayak Sathaye, Alibag (Maharashtra)
2. Dr. C.P. Mathew, Kottayam (Kerala)

So far, 20 Ayurvedic scholars have been awarded Life Time Achievement (LTA).

4.4. NATIONAL CONFERENCE /SEMINAR

The Vidyapeeth conducts every year a Conference/Seminar on a topic that requires discussion and exchange of the views and dissemination of clinical experience on the diagnosis and treatment of the disease through Ayurveda. So far 25 Conferences/Seminars have been conducted on different topics such as Ksharasutra, Heart Diseases, Ayurvedic Education, Training and Development, Nadi Vigyan, Fast Acting Ayurvedic Medicines and Techniques, Shothahara Avam Jeevanu Nashak Ayurvedic Medicines, AIDS, Thyroid Disorders, Rasayana, Kidney and Urinary Disorders, Hepato-biliary & Splenic Disorders, Diabetes Mellitus, Mental Health, Vatavyadhi, Obesity, Reproductive Health of Women, Preventive Cardiology, Skin Diseases, Cancer (2), Autoimmune Disorders, Basti Karma, Parmeah (Diabeties), Role of Ayurveda in Sports Medicine, Ayurveda for Longevity and Ayurveda for accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs)-3.

4.5 NATIONAL INTERACTIVE WORKSHOPS BETWEEN PG STUDENTS AND TEACHERS OF AYURVEDA

It is the common experience of students, junior teachers and young doctors, who in the beginning of their professional career come across certain points of topics/subjects in texts, which may require clarification/explanation, interpretation and scientific understanding. In some of the colleges, where the faculty is deficient of experienced and qualified staff, the students constantly make efforts to understand the concepts of Ayurveda and their practical utility.

It is frequently raised and argued by the students that some of the topics that cannot be explained in terms of present scientific understanding may be deleted from the syllabus/texts, as these are not relevant in the present context.

But before entering into such conclusion it is felt necessary that interactive session should take place between students and eminent scholars and experienced Vaidyas, where there could be an opportunity to discuss such points of doubt. It is observed that the routine seminars of specific subject/topic limit the discussion to that topic and many times fail to clarify the doubts of students and participants for lack of time. In the fields of learning involving study of ancient texts and applying them in day-to-day practice in order to promote health care of the people, there is every possibility of queries in the professionals regarding the applicability of ancient thoughts in the present day understanding.

Questions are invited from students on selected topics from the Samhitas, Nighantus, Chikitsa Granthas and other texts of Ayurveda, on which they require clarification. On receipt of the questions from the students, these are sent to those Ayurvedic scholars (resource persons) who have sound knowledge of that subject, and who can clarify their doubts. The questions and answers are compiled in the form of a book and distributed in the workshop for scientific discussion. The questioners and experts are invited to participate in the workshop.

So far, RAV has conducted 25 such Interactive Workshops and released books of Questions and Answers discussed in the workshop.

4.6 NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS

In a survey of Ayurveda Institutes conducted by RAV and Ayush to assess the standards of Ayurveda Education and Educational Institute in the year 2012, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Parikshan etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology

described in Ayurveda is disappearing. Many teachers as well as PG students showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

In view of above, a novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field.

Ayurveda is indigenous medicine of our country and it is practiced in India for several centuries. There are number of treatment procedures, therapies and medicines in public domain. Many practitioners, either gained knowledge traditionally from their forefathers or out of their own experience, are practicing Ayurveda and benefitting the local populations. The knowledge and skills possessed by them in patient care should be transmitted to present young doctors. Further, the knowledge of Ayurveda is required to be interpreted as per the concepts of Ayurveda in diagnosis and treatment.

4.7. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA PG SCHOLARS ON RESEARCH METHODOLOGY, MANUSCRIPT WRITING AND CAREER OPPORTUNITIES

This is a common observation that Ayurveda has a minimal share in the global scientific literature. Despite of large number of PG and PhDs being produced in Ayurveda every year, the number of published research remains minimal. The reason is poorly conducted research in Ayurveda which do not possess a merit of publication. This was also observed that the poor research conduction in Ayurveda is basically an outcome of poor acquaintance of research methods by the Ayurveda PG students. RAV has realized this gap recently and has designed a specific programme for Ayurveda PG scholars focusing upon research methods, manuscript writing and also the guidance upon career opportunities. In the year 2020-21, a programme was conducted on 09th to 10th October, 2020 through Video Conference on various subjects on Research Methodology, Manuscript Writing and Career Opportunities.

4.8. CHARAKA AYATANAM: (6 Days complete residential training programme for Undergraduate and Post Graduate Scholars of Ayurveda)

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Therefore, it is important to understand Samhita on bedside and learn to design the treatment as per classical texts.

Charak Samhita being the basic text of Kayachikitsa, the Charaka Ayatanam program has been designed to provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and its relevance in clinical practice.

4.9. PUBLICATIONS

The Vidyapeeth has been publishing certain books of Ayurveda, which cater to general public in creating awareness and also useful to students and professionals of Ayurveda and allied sciences. The Vidyapeeth also publishes the thesis of its students after necessary review and recommendation by the Expert Committee and approval by the Governing Body. RAV has so far published 25 souvenirs and 15 books including, four based on thesis submitted by its students of two-year course. Twenty five question-answer books pertaining to interactive workshops were also published by the Vidyapeeth.

5. TECHNICAL REPORT (Activities conducted during 2020-21)

5.1 MEETINGS HELD DURING THE YEAR:

During the year, one meeting of Governing Body and five meetings of Standing Finance committee were conducted. Details are as under:

(A) Meetings of Governing Body:

During the year, a meeting of Governing Body (46th GB meeting) was convened on 13th July, 2020 as per details given below:

46th Governing Body meeting held on 13th July, 2020

The following members were present in the meeting

1. Vd. Devinder Triguna-President
2. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush
3. Additional Secretary & FA, Ministry of Health and F.W.
4. Vd. Manoj Nesari, Adviser (Ayurveda), Ministry of Ayush
5. Vd. Anup Thakur, Vice Chancellor, Gujarat Ayurved University
6. Dr. Subhash Ranade, Pune
7. Vd. Varsha Deshpande, Karad
8. Vd. Rajesh Gupta, Swanatwadi
9. Dr. Rakesh Sharma, Chandigarh
10. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
11. Dr. Gobind Prasad Upadhyay, Nagpur
12. Vd. Sadanand Sardeshmukh, Pune
13. Dr. Anupam Srivastava, Director-Member Secretary

Major decisions taken in 46th meeting of GB:

A 46th Meeting of G.B.was held on 13th July, 2020 wherein following important recommendations was approved:

1. Approval for selection of Guru and Shishyas for the session 2020-21.
2. Approval for assessment of Gurus and change in criteria for selection of Gurus.
3. Approval for reviving of MRAV course and Advance course for Quality Higher Eduction for Ayurveda students.
4. Approval for conduction of Certificate course in Ayurveda.
5. Approved the MoU with IIT Varanasi.
6. Approval for selection of FRAV.

(B) Standing Finance Committee (SFC) meeting:

During the year, five meetings of Standing Finance Committee (SFC) were conducted with ex-officio members of the SFC on 14th May, 2020, 25th June, 2020, 17th September, 2020, 24th December, 2020 and 24th March, 2021.

32nd Standing Finance Committee (SFC) held on 14.05.2020

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush-Ex-officio Member
2. Shri Raj Kumar, Deputy Secretary (IFD), Additional Secretary & FA or his Representative, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
5. Vd. Varsha Deshpande, Karad
6. Shri Yash Veer Singh, Deputy Secretary, Ministry of Ayush-Special Invitee
7. Shri A.J.J. Kennedy, Under Secretary, Ministry of Ayush-Special Invitee
8. Dr. Anupam, Director, RAV

Major decisions taken in 32nd meeting of SFC:

A 32nd meeting of SFC was held on 14th May, 2020 wherein following important recommendations were approved:

1. Approved the Budget Estimates for the year 2020-21.
2. Approval for new batch of CRAV for selction of Gurus and Students for the year 2020-21.
3. Approved to conduct Interactive Training Programme between P.G. scholars and young teachers.
4. Approved to conduct Samhita based training programme for Undergraduate/ Postgraduate students (CHARAKAAYATAN).

5. Approved to conduct Samhita Based Training Programme for Teachers.
6. Approved to conduct Research Methodology Programme for P.G. scholars.
7. Approval for three day Trining Programme for Teachers of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana Vigyan.
8. Approved to conduct National Seminar, Convocation and Shishyopanayaniya.
9. Approval for appointment of consultant on short term basis for development of accreditation document.

Special Meeting of Standing Finance Committee (SFC) held on 25.06.2020

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush-Ex-officio Member
2. Additional Secretary & FA or his Representative, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Varsha Deshpande, Karad
5. Shri Yash Veer Singh, Deputy Secretary, Ministry of Ayush-Special Invitee
6. Shri A.J.J. Kennedy, Under Secretary, Ministry of Ayush-Special Invitee
7. Dr. Anupam, Director, RAV

Major decisions taken in Special meeting of SFC:

A Special meeting of SFC was held on 25th June, 2020 wherein following important recommendation was approved:

1. Approved the Annual Accounts for the year 2019-20.

33rd Standing Finance Committee (SFC) held on 17.09.2020

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush-Ex-officio Member
2. Shri Raj Kumar, Deputy Secretary (IFD), Additional Secretary & FA or his Representative, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Varsha Deshpande, Karad
5. Shri Yash Veer Singh, Deputy Secretary, Ministry of Ayush-Special Invitee
6. Shri A.J.J. Kennedy, Under Secretary, Ministry of Ayush-Special Invitee
7. Dr. Anupam, Director, RAV

Major decisions taken in 33rd meeting of SFC:

A 33rd meeting of SFC was held on 17th September, 2020 wherein following important recommendations were approved:

1. Suggestion for face lifting/renovation of RAV office.
2. Suggestion for reprinting of Charak Samhita Vol. II, III and IV.
3. Suggestion for write-off of Annual Reports and damage publications.

34th Standing Finance Committee (SFC) held on 24.12.2020

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush-Ex-officio Member
2. Additional Secretary & FA or his Representative, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush

4. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
5. Vd. Varsha Deshpande, Karad
6. Dr. Anupam, Director, RAV

Major decisions taken in 34th meeting of SFC:

A 34th meeting of SFC was held on 24th December, 2020 wherein following important recommendations were approved:

1. Approval for reprinting of Charak Samhita Vol. II, III and IV.
2. Approval for revamping of MRAV course as Super Specialty Course.
3. Approval for Ph.D. programme at IIT, Varanai-Education and evidence based research in the field of Ayurveda through comtemporary sciences.
4. Approval for National Teacher Training Programme for Central & State Government teachers.
5. Approved to appoint one expert/consultant for Accreditation work.
6. Approved to appint of IT professional on contractual basis.

35th Standing Finance Committee (SFC) held on 24.03.2021

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush-Ex-officio Member
2. Additional Secretary & FA or his Representative, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
5. Vd. Varsha Deshpande, Karad
6. Dr. Anupam, Director, RAV

Major decisions taken in 35th meeting of SFC:

A 35th meeting of SFC was held on 24th March, 2021 wherein following important recommendations were approved:

1. Approval for advance paymnt of rent for a year.
2. Approved to appoint one Media Consultant on contractual basis and one Media Intern.
3. Approved to appoint of two MTS and one Safaiwala on outsources basis.
4. Approval for institutional support for conducting Super Specialty at ITRA, NIA and AIIA.

5.2 GURU SHISHYA PARAMPARA

(A) Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)

Selection of the CRAV Gurus:

In order to begin the new session of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course for the year 2020-21 an advertisement was brought out on 11th November, 2020 in the selected newspapers on all India bases through DAVP for appointment of Gurus for the course. 53 fresh applications were received from prospective Vaidyas/ Scholars.

A Sub-Committee of Governing Body held on 14th December, 2020 consisting of following members was formed with the approval of President of G.B., RAV for scrutinizing the received applications:

Vd. Rajeshkumar Gupta, Sawantwadi	-	G.B. Member
Vd. Rakesh Sharma, Chandigarh	-	G.B. Member
Dr. Anupam, Director, RAV	-	Member, Secretary

The above committee scrutinized the applications and shortlisted 20 names out of 53 applicants on the basis of performance and information, interaction and feedback, eligibility criteria etc. The Sub-Committee had also evaluated the list of 58 Gurus of 2019-20 and suggests 43 Existing Gurus of session 2019-20 for consideration for the year 2020-21 and also decided

regarding remaining gurus of previous session 2019-20 will be taken later on depending upon the financial availability.

Due to pandemic, delay in starting the CRAV course had given the financial cushion i.e. spared money by which 13 remaining gurus of previous session i.e. 2019-20 had been considered/empanelled for the session 2020-21 and due to medical and personal reason 02 others gurus i.e. Prof. Premvati Tewari and Dr. S.P. Sardeshmukh (Institutional Guru) had not been considered/empanelled for the session 2020-21. For finalizing the names of Gurus the 2nd Sub-committee meeting was held on 15th January, 2021, in which, total 68 Gurus comprising of 64 Individual Gurus and 04 Institutional Gurus have been selected. The details of the empanelled gurus for CRAV for this year are as under:

S.No.	Name and Place of Gurus	Subject
1.	Dr. B. Prabhakaran, Kannur (Kerala)	Agada Tantra
2.	Dr. N. Krishnaiah, Tirupati (Andhra Pradesh)	Bal Roga
3.	Dr. Jaysukh R. Makwana, Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa
4.	Dr. L. Sucharitha, Bengaluru (Karnataka)	Stree Roga
5.	Dr. N.V. Sreevaths, Palakkad (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa
6.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa
7.	Dr. Mathews Joseph, Muvattupuzha (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa and Sports Injury Management
8.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa

9.	Dr. A. Raghavendra Acharya, Udupi (Karnataka)	Ksharsutra and Marma Chikitsa
10.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra
11.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra
12.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra
13.	Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
14.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra
15.	Dr. Bhaskar Rao, Tirupati (Andhra Pradesh)	Ksharsutra
16.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
17.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra
18.	Prof. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra
19.	Vd. Balendu Prakash, Rampur (Uttarakhand)	Pharmacy
20.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy
21.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy
22.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy

23.	Vd. Sasikumar Nechiyal, Palakkad (Kerala)	Pharmacy
24.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy
25.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa
26.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. N. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)
27.	Aryavaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. Ramkumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
28.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal (Kerala) (Dr. P. Madhavankutty Varier)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
29.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. C.N. Jani)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
30.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa
31.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa
32.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa
33.	Vd. Namadhar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa

34.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa
35.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
36.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa
37.	Vd. Dineshchandra D. Goradia, Mumbai (M.S.)	Kayachikitsa
38.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa
39.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
40.	Vd. Tarachand Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
41.	Vd. Narendra Gujarathi Narayandas, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa
42.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa
43.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa
44.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
45.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra “Basant”, Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa
46.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa

47.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
48.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa
49.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa
50.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh(Punjab)	Kayachikitsa
51.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa
52.	Dr. Manoj Kumar Sharma, Kota (Rajasthan)	Kayachikitsa
53.	Vd. Shrikrishna Khandel, Jaipur (Rajasthan)	Kayachikitsa
54.	Vd. Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)	Kayachikitsa
55.	Dr. Pangala Muralidhara Ramachandra Bhat, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa
56.	Dr. Pravin Prabhakar Joshi, Dhule (M.S.)	Kayachikitsa
57.	Vd. Ravindra Vatsyayan, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa
58.	Vd. Mahesh Madhusudan Thakur, Thane (M.S.)	Kayachikitsa
59.	Prof. Updendra Digambar Dixit, Ponda (Goa)	Kayachikitsa

60.	Dr. P.M.S. Raveendranath, Palakkad (Kerala)	Kayachikitsa
61.	Vd. Muralidhar Purushottam Prabhudesai, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa
62.	Vd. M. Prasad, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
63.	Dr. P.L.T. Girijia, Chennai (Tamilnadu)	Kayachikitsa
64.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa
65.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa
66.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa
67.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
68.	Vd. Jagjit Singh, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa

(B) Admission and Training of the CRAV Students:

In order to admit the students (Shishyas) during the year an advertisement was brought out in all the leading newspapers all over the country on 19th November, 2020. Besides this, the copies of advertisement were sent to all the Graduate and Post Graduate Ayurveda Colleges/Universities to display it on their Notice-Board. The copies of advertisement were also sent to all Gurus and members of the Governing Body along with prospectus and other rules.

In response of the Advertisement about 740 applications were received and scrutinized. Admit Cards were issued to all 734 eligible candidates for appearing in written test which was conducted at pre-approved examination centers at New Delhi, Pune, Jaipur, Bengaluru, Varanasi and Thrissur on 05th December, 2020. Total 667 applicants appeared for the tests at six centers. Question paper for written test containing 100 objective-type questions was prepared in Hindi and English. Total 180 candidates were selected on the basis of their merit.

The following 156 students are receiving the training under 68 Gurus. The details are as under:-

S.No.	Name and Place of Gurus	Subject	No. of Students
1.	Dr. B. Prabhakaran, Kannur (Kerala)	Agada Tantra	1
2.	Dr. N. Krishnaiah, Tirupati (Andhra Pradesh)	Bal Roga	2
3.	Dr. Jaysukh R. Makwana, Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa	2
4.	Dr. L. Sucharitha, Bengaluru (Karnataka)	Stree Roga	3
5.	Dr. N.V. Sreevaths, Palakkad (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa	2
6.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa	3
7.	Dr. Mathews Joseph, Muvattupuzha (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa and Sports Injury Management	2
8.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa	3
9.	Dr. A. Raghavendra Acharya, Udupi (Karnataka)	Ksharsutra and Marma Chikitsa	2
10.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra	2

11.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra	2
12.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra	2
13.	Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	3
14.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra	2
15.	Dr. Bhaskar Rao, Tirupati (Andhra Pradesh)	Ksharsutra	2
16.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	1
17.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra	1
18.	Prof. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra	2
19.	Vd. Balendu Prakash, Rampur (Uttarakhand)	Pharmacy	0
20.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy	3
21.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy	2
22.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy	0
23.	Vd. Sasikumar Nechiyal, Palakkad (Kerala)	Pharmacy	0
24.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy	1
25.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa	2
26.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. N. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)	6

27.	Aryavaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. Ramkumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	7
28.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal (Kerala) (Dr. P. Madhavankutty Varier)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	6
29.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. C.N. Jani)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	7
30.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa	2
31.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa	1
32.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa	2
33.	Vd. Namadhar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2
34.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai(Tamilnadu)	Kayachikitsa	4
35.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	2
36.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa	4
37.	Vd. Dineshchandra D. Goradia, Mumbai (M.S.)	Kayachikitsa	1
38.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa	4
39.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2
40.	Vd. Tarachand Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2

41.	Vd. Narendra Gujarathi Narayandas, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa	3
42.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa	2
43.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa	2
44.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	2
45.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra “Basant”, Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa	2
46.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa	1
47.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	2
48.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa	2
49.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa	3
50.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh(Punjab)	Kayachikitsa	2
51.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa	2
52.	Dr. Manoj Kumar Sharma, Kota (Rajasthan)	Kayachikitsa	2
53.	Vd. Shrikrishna Khandel, Jaipur (Rajasthan)	Kayachikitsa	2
54.	Vd. Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)	Kayachikitsa	2
55.	Dr. Pangala Muralidhara Ramachandra Bhat, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa	2

56.	Dr. Pravin Prabhakar Joshi, Dhule (M.S.)	Kayachikitsa	2
57.	Vd. Ravindra Vatsyayan, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa	2
58.	Vd. Mahesh Madhusudan Thakur, Thane (M.S.)	Kayachikitsa	2
59.	Prof. Updendra Digambar Dixit, Ponda (Goa)	Kayachikitsa	2
60.	Dr. P.M.S. Raveendranath, Palakkad (Kerala)	Kayachikitsa	2
61.	Vd. Muralidhar Purushottam Prabhudesai, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa	2
62.	Vd. M. Prasad, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	2
63.	Dr. P.L.T. Girijia, Chennai (Tamilnadu)	Kayachikitsa	1
64.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa	2
65.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa	2
66.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa	4
67.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	3
68.	Vd. Jagjit Singh, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa	2
Total			**156**

5.3. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS:

A novel training programme had been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field, because, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Pariksha etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

Hence, in order to promote the practice of art of clinical diagnosis based on texts of Ayurveda and classical methodology described in Ayurveda, RAV had conducted following twelve training programmes through Video Conference i.e. Kriya Sharir (4), Rachna Sharir (2), Sanskrit (2), Padartha Vigyana (3) and Ayurveda Samhita & Siddhanta:-

S.No.	Subject	Duration
1	Kriya Sharir	18th to 20th, 21st to 23rd, 28th to 30th January, 2021 and 4th to 6th March, 2021
2	Rachna Sharir	27th to 29th January, 2021 and 3rd to 5th February, 2021
3	Sanskrit	8th to 10th February, 2021 and 15th to 17th March, 2021
4	Padartha Vigyana	17th to 19th, 22nd to 24th February, 2021 and 18th to 20th March, 2021
5	Ayurveda Samhita & Siddhanta	25th to 27th February, 2021

Eminent scholars have delivered lectures and conducted practical sessions. So far, 2572 teachers had been benefitted through these training programmes.

5.4. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA PG SCHOLARS ON RESEARCH METHODOLOGY, MANUSCRIPT WRITING AND CAREER OPPORTUNITIES

This is a common observation that Ayurveda has a minimal share in the global scientific literature. Despite of large number of PG and PhDs being produced in Ayurveda every year, the number of published research remains minimal. The reason is poorly conducted research in Ayurveda which do not possess a merit of publication. This was also observed that the poor research conduction in Ayurveda is basically an outcome of poor acquaintance of research methods by the Ayurveda PG students. RAV has realized this gap recently and has designed a specific programme for Ayurveda PG scholars focusing upon research methods, manuscript writing and also the guidance upon career opportunities. In the year 2020-21, a programme was conducted on 09^{th} – 10^{th} October, 2020 through Video Conference on various subjects on Research Methodology, Manuscript Writing and Career Opportunities.

This was the two day training programmes involving senior faculties of Ayurveda and allied disciplines who are highly proficient in research. Participants were invited from Ayurveda PG Colleges from whole of the country. It was seen that this training programme was highly appraised and demanded by Ayurveda PG scholars. Approximately, 100 Ayurveda PG students had been trained in this programme.

5.5. GYAN GANGA – A KNOWLEDGE VOYAGE – WEEKLY WEBINAR SERIES

(A) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV) is organizing webinar series named **"Gyan Ganga–a knowledge Voyage" every Thursday at 3:30 pm**. The purpose of this webinar series is to disseminate authentic knowledge, information & to update the knowledge & skills of Ayurveda fraternity through live interactive session with stalwarts in the field of Ayurveda as well as contemporary sciences. So far 39 webinar had been organized on various different topics.

(B) Promotion of Region specific Ayurveda Ahara under the umbrella of "Ek Bharat Shrestha Bharat"

Under the campaign of **"Ek Bharat Shrestha Bharat"** an initiative by Government of India, Ministry of Ayush had assigned the responsibility of "Promotion of Region-specific Ayurveda Ahara" to RAV. This was done with an objective to promote and sensitize the people with the concept of Ayurveda Ahara. For the execution of same, RAV had done various promotional activities, such as – Incorporation of the theme "Region specific Ayurveda Ahara" in the ongoing RAV tutorial webinar series i.e. Gyan Ganga-a Knowledge Voyage. Three webinars were successfully conducted on topics related to Ayurveda Ahara by the experts of Ayurveda, Online Essay competition for Ayurveda students on the topic "My region-My Ayurveda Ahara-its role in health promotion" had been organized by RAV. More than 80 students across the country had participated in the competition. The top 3 winners had been rewarded with Cash prize and E-certificate each, online Poster making competition had been also conducted on the theme "Mera Sthana, Mera Khan-Paan Evam Swasthya Uthana". More than 100 students participated in the competition. The posters were reviewed by a panel of experts and the winners were rewarded with cash prize and E-certificate and RAV had also taken the initiative to promote Region Specific Ayurveda Ahara by uploading promotional videos on different region specific Ayurveda Ahara on the social media platforms such as Facebook, YouTube and Twitter etc. Along with this, a weekly template on the same had been regularly uploaded on RAV website under the title **"Iss Saptah Ka Ahar"**.

(C) National Consultation on "Swarna Prashan"

RAV had conducted a 'National Consultation on "Swarna Prashan" vis-a-vis community booster' through Video conference. The "Swarna Prashan" was one of the speciality methods of Ayurveda and in current scenario, it is quite relevant too. Therefore, RAV had updated the understanding of this specified procedure among students, Gurus, teachers & Ayurveda fraternity through the consultation on 27th July, 2020. It was an honour to have Vd. Shri Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush as Chief Guest of the programme and on the occasion Vaidya Devinder Triguna,

President, G.B. RAV, Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush, Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ay.), Ministry of Ayush, Dr. K.R. Kohli, Director, Directorate of Ayush, Maharashtra, Prof. Abhimanyu Kumar, VC, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur, Dr. Rajagopala S., Associate Prof., Deptt. of Kumarbhritya, AIIA and Vaidya Anupam Srivastava, Director RAV had addressed the programme and shared their views and various other eminent scholars of Ayurveda had also addressed. More than 1000 viewer attended the virtual programme.

(D) AYU SAMVAD Campaign

Secretary, Ministry of Ayush had directed to promote the campaign **"AYU SAMVAD"** in the form of lecture series to make people aware about Ayurveda principles across the country. The campaign was in pursuance to the 5th Ayurveda theme "Ayurveda for Covid-19 Pandemic". The objective of the series was to create awareness and wider publicity of theme as well as for dissemination of the relevant information among the masses.

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), New Delhi had taken requisite steps to make this campaign successful. Online Training program/ conversations had been organized by RAV for Gurus briefing them on the campaign objective, creating awareness among common people utilizing the campaign material provided by AIIA, translation of PPT to regional language for better understanding by people across India to conform uniformity of content to be delivered across masses. The relevant campaign material (Booklet, PPT, and Film) links were also circulated & uploaded to Website of RAV for the reference. RAV Gurus had been advised and follow-ups were made for carrying out such activities at their respective ends. During the aforesaid period, RAV Gurus had carried out Lecture series through online & offline mode (at their own campus/ area as per the direction local administration) to make people aware about the role of Promotive, Preventive, Curative and rehabilitative role of Ayurveda in Covid-19 condition successfully.

In current pandemic situation, wherein gatherings are restricted, others steps were also undertaken, in lines of the objective, by the Gurus such as talks on radio FM, articles in leading newspapers, Pamphlets distribution,

Online trainings, use of social media such as WhatsApp, Facebook, Twitter etc., text messages etc. 54 online and 100 offline lectures were conducted and 11,08,606 people benefitted and the report had submitted to MoA.

5.6. PUBLICATIONS/SALE OF BOOKS

During the year the Vidyapeeth sold its publications worth **₹ 4,52,313/- (Rupees Four Lakh Fifty Two Thousand Thirteen Only)**.

5.7. OTHER ACTIVITIES

Monitoring and implementation of Central Sector scheme of Continuing Medical Education (CME):

The Vidyapeeth as Nodal Office has been implementing the Central Sector Scheme of CME of Ministry of Ayush. These programmes were conducted throughout the country in selected institutions with objectives of upgrading the knowledge of teachers, medical officers and other personnel of Ayush systems and providing them the information on advancements and research outcome in the fields of diagnosis, management, drugs etc. in concerned subjects. Orientation Training Programmes in Yoga and other Ayush subjects were also arranged for Ayush and Allopathic doctors besides Training of Trainers and other capacity building programs.

During 2020-21, total GIA of Rs. 575.00 lakhs have been released for conducting/implementing the 05 CME programmes/projects consisting of 4 Web/IT based programme 01 CME in IT sector for Ayush personnels and as a reimbursement to eligible institutions.

Also during 2020-21, 32 pending Utilization Certificates (UC) amounting to Rs. 309.40 lakhs have been liquidated.

STATE-WISE STATEMENT OF RELEASES OF CME PROGRAMMES OF AYUSH FOR TEACHERS & DOCTORS DURING THE YEAR- 2020-21

S. No.	State	Number of Institutions	Programmes
		Govt.+ Private	
1	Delhi	2+0	2 projects for web based (online) educational programmes
2	Kerala	0+1	2 projects for web based (online) educational programmes
3	Karnataka	0+1	3-days training in IT to Ayush administrators/ heads of departments/institutions. -
Total		**2+2=04**	**05**

6. Budget and Expenditure

During the year 2020-21, the Vidyapeeth received Grant-in-Aid of ₹ 985.72 lakh (GIA General: ₹ 816.96 lakh, GIA Salary: ₹ 76.09 lakh, GIA Capital: ₹ 10.00 lakh and GIA CME-RSBK: ₹ 45.67 lakh and GIA CSSS: ₹ 37.00 lakh) from the Ministry of Ayush. Besides, there was an unspent grant of ₹ 32.53 lakh (GIA General: ₹ 23.91 lakh, GIA SAP: ₹ 2.62 lakh, GIA CME: ₹ 6.00 lakh) for the year 2019-20. It had its own receipts transferred under GIA General ₹ 1.26 lakh during the year. The Vidyapeeth utilized ₹ 900.36 lakh (GIA General: ₹ 806.43 lakh, GIA Salary: ₹ 93.15 lakh and GIA General-Swachh Bharat Abhiyan ₹ 0.78 lakh) leaving an unspent balance of ₹ 119.15 lakh (GIA Salary: ₹ 11.79 lakh, GIA Salary: ₹ 6.85 lakh and GIA-SAP: ₹ 1.84 lakh, GIA Capital: ₹ 10.00 lakh, GIA CME: ₹ 6.00 lakh, GIA CME-RSBK: ₹ 45.67 lakh, GIA CSSS: ₹ 37.00 lakh) as on 31 March, 2021.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth for the year ended 31 March, 2021

We have audited the attached Balance Sheet of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (Vidyapeeth) as at 31 March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2020-21. These financial statements are the responsibility of the Vidyapeeth's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the

uniform format of accounts approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Vidyapeeth in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule-11) - ₹ 2.50 crore

A.1.1.1 The Vidyapeeth published its publication for free distribution in Seminars and Interactive Workshops. However, after distribution, stock of these publications lying with the Vidyapeeth and generating its own income by selling these publications. The Vidyapeeth having stock of ₹ 3.91 lakh of Seminars Publication and ₹ 4.21 lakh of Interactive Workshops (on cost basis), but the same has not been reflected under inventories. This has resulted in understatement of Currrent Assets (Inventory) and overstatement of Expenses by ₹ 8.12 lakh.

B. Income & Expenditure Account

B.1 The Vidyapeeth paid an amount of ₹ 19.62 lakh as office rent for the period 01.03.2021 to 28.02.2022 and booked whole amount as expenditure during the year. Out of this, ₹ 17.99 lakh pertained to the next financial year and it should be reflected under Currrent Assets (Advances). Thus, non-reflection of ₹ 17.99 lakh under the above head, resulted in overstatement of Expenditure and understatement of Current Assets by this amount.

B.2 Vidyapeeth paid ₹ 45 lakh (₹ 15 lakh each) to three Institutes namely All India Institute of Ayurveda, New Delhi; National Institute of Ayurveda, Jaipur and Institute of Teaching & Research in Ayurved, Jamnagar to start a fellowship program in Super Specialty Course. Scrutiny revealed that Vidyapeeth booked the same as expenditure under 'Other Administrative Expenses' instead of treating it as Advances. This has resulted in overstatement of Expenditure and understatement of Advances (Current Assets) by ₹ 45 lakh.

C. General

C.1 As per instructions issued by Ministry of Finance vide notification No. FNo.11/14/2013-PR dated 02.03.2015, investment of Provident Fund should be made in various Govt. securities (45 to 50%), debt instrument (35 to 45%), short term debt instrument (upto 5%), equities (5 to 15%) and assets backed trust structure (upto 5%). However, the Vidyapeeth had invested ₹ 1.06 crore in Term Deposits in Nationalized Banks, which was not in accordance with the pattern prescribed by the Government of India.

D. Grants-in-aid

During the year 2020-21, the Vidyapeeth received Grant-in-Aid of ₹ 985.72 lakh (GIA General: ₹ 816.96 lakh, GIA Salary: ₹ 76.09 lakh, GIA Capital: ₹ 10.00 lakh and GIA CME-RSBK: ₹ 45.67 lakh and GIA CSSS: ₹ 37.00 lakh) from the Ministry of Ayush. Besides, there was an unspent grant of ₹ 32.53 lakh (GIA General: ₹ 23.91 lakh, GIA SAP: ₹ 2.62 lakh, GIA CME: ₹ 6.00 lakh) for the year 2019-20. It had its own receipts transferred under GIA General ₹ 1.26 lakh during the year. The Vidyapeeth utilized ₹ 900.36 lakh (GIA General: ₹ 806.43 lakh, GIA Salary: ₹ 93.15 lakh and GIA General-Swachh Bharat Abhiyan ₹ 0.78 lakh) leaving an unspent balance of ₹ 119.15 lakh (GIA Salary: ₹ 11.79 lakh, GIA Salary: ₹ 6.85 lakh and GIA-SAP: ₹ 1.84 lakh, GIA Capital: ₹ 10.00 lakh, GIA CME: ₹ 6.00 lakh, GIA CME-RSBK: ₹ 45.67 lakh, GIA CSSS: ₹ 37.00 lakh) as on 31 March, 2021.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of Vidyapeeth through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

i. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt by this report are in agreement with the books of accounts.

ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting policies and Notes on Accounts and subject to

significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth as at 31 March 2021; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

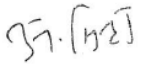

(Ashok Sinha)
Principal Director of Audit
(Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi
Date: 28.12.2021

Annexure

1. Adequacy of internal audit system:

The Internal Audit wing is not established in the Vidyapeeth. The Ministry has conducted the internal audit of the Vidyapeeth up to 2015-16.

2. Adequacy of internal control system:

The management's response to internal and external audit objections was not effective as 15 paras of internal audit and 7 paras of external audit upto 2016 were outstanding as on 31 March, 2021.

3. System of physical verification of fixed assets:

The physical verification of fixed assets for the period 2020-21 was conducted.

4. System of physical verification of inventory:

The physical verification of book& Publications, stationery and consumable items was conducted upto 2020-21.

5. Regularity in payment of statutory dues:

No statutory dues were outstanding for more than six month as on 31.03.2021.

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2021

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	48,05,086.00	44,70,864.00
Reserves And Surplus	2	59,05,240.00	47,73,468.00
Earmarked/Endowment Fund	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	2,84,85,488.00	1,61,38,650.00
TOTAL		**3,91,95,814.00**	**2,53,82,982.00**
ASSETS			
Fixed Assets	8	9,09,128.00	7,01,390.00
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments- Others	10	1,32,79,910.00	1,06,55,904.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	2,50,06,766.00	1,40,25,688.00
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**3,91,95,814.00**	**2,53,82,982.00**

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 24

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS 25

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

DIRECTOR

Place : New Delhi

Date : 02-06-2021

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income From Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	8,97,01,932.00	8,74,29,735.00
Fees/Subscription	14	2,37,011.00	3,17,882.00
Income From Investments (Income on Invest. from Earmarked/Endow. Funds Transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	4,72,589.00	7,58,353.00
Interest Earned	17	6,117.00	4,439.00
Other Income	18	2,19,140.00	772.00
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods and Work-In-Progress	19	3,23,399.00	58,485.00
TOTAL (A)		9,09,60,188.00	8,85,69,666.00
Less : Internal Generation Transferred to GIA General		1,26,484.00	1,34,485.00
TOTAL (A) after transfer of Interest Income		9,08,33,704.00	8,84,35,181.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	6,96,08,488.00	7,33,38,026.00
Other Administrative Expenses	21	1,99,66,960.00	1,39,87,549.00
Expenditure on Grants, Subsidies	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end -Corresponding to Schedule 8)		1,26,484.00	1,04,160.00
TOTAL (B)		8,97,01,932.00	8,74,29,735.00
Balance Being Excess of Income over Expenditure (A-B)		11,31,772.00	10,05,446.00
Transfer to Special Reserve (Specify Each)			
Transfer to/from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		11,31,772.00	10,05,446.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 2-06-2021

Schedules To The Balance Sheet

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 1 -CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year		Previous Year	
Balance as at the Beginning of the Year	44,70,864.00		44,56,864.00	
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	3,34,2.00	48,05,086.00	14,000.00	44,70,864.00
Add/ (Deduct) : Balance of Net Income/(Expenditure) Transferred from the Income and Expenditure Account				
Balance at the end of the year		**48,05,086.00**		**44,70,864.00**

SCHEDULE 2 -RESERVES AND SURPLUS:	Current Year		Previous Year	
General Reserves (Excess of Income over expenditure)				
As per Last Account	47,73,468.00		37,68,022.00	
Add : Addition during the year	11,31,772.00	59,05,240.00	10,05,446.00	47,73,468.00
TOTAL		**59,05,240.00**		**47,73,468.00**

	FUND-WISE BREAK UP		TOTALS	
			Current Year	Previous Year
SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	-		-	
a) Opening Balance of the Funds	-		-	
b) Additions to the funds:	-		-	
i) Donations/Grants				
ii) Income from Investments made on account of funds			-	
iii) Other Additions				
TOTAL (a+b)		-		-
i) Capital Expenditure	-		-	
-Fixed Assets				
-Others				
Total				
ii) Revenue Expenditure	-		-	
- Salaries,Wages and Allowances etc.				
- Rent				
- Other Administrative Expenses				
Total				
TOTAL (c)		-		-
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)				

Notes

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2) Plan Funds received from the Central/State governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	-
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
a) Term Loans				
b) Interest Accrued and Due			-	-
4. Banks:	-		-	-
a) Term Loans				
- Interest Accrued and Due				
b) Other Loans (Specify)				
-Interest Accrued and Due				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 5 -UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
b) Other Loans (Specify)				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Fixed Deposits	-		-	
8. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year		Previous Year	
a) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-		-	
b) Others	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	**Current Year**		**Previous Year**	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Statutory Liabilities				
a) Contribution to Provident Fund				
As per last year Balance Sheet	69,82,985.00		57,76,044.00	
Addition during the year	17,91,650.00		15,39,535.00	
Less : Withdrawal during the year	71,951.00	87,02,684.00	3,32,594.00	69,82,985.00
2. Other Current Liabilities				
- Unutilized Grant (GIA General)	11,79,575.00		-	
- Unutilized Grant (GIA Salary)	6,84,820.22		23,90,684.46	
- Unutilized Grant (GIA Swachh Bharat Abhiyan)	1,83,602.00		2,61,882.00	
- Unutilized Grant (GIA CME)	6,00,000.00		6,00,000.00	
- Unutilized Grant (GIA Capital)	10,00,000.00		-	
- Unutilized Grant (GIA CME RSBK)	45,67,000.00		-	
- Unutilized Grant (GIA CSSS)	37,00,000.00		-	
- Corpus Funds (Retirement)	50,94,827.00		44,54,650.00	
- Earnest Money	24,000.00		19,000.00	
- Other Charges Head	2,44,919.76		1,13,232.84	
- Interest earned on corpus fixed assets to be refunded to Ministry of AYUSH	1,68,658.00		-	
- Impact of 7th CPC to be refunded to Ministry of AYUSH	11,45,000.00		-	
- Interest earned to be refunded to other charges CME	78,739.00		-	
- Interest earned on GIA to be refunded Ministry of AYUSH	6,92,162.00	1,93,63,303.00	5,46,048.00	83,85,497.00
TOTAL (A)		**2,80,65,987.00**		**1,53,68,482.00**

B. PROVISIONS	**Current Year**		**Previous Year**	
1. For Taxation	-		-	
2. Gratuity	2,37,481.00		3,77,056.00	
3. Superannuation/Pension	-		-	
4. Accumulated Leave Encashment	1,82,020.00		3,93,112.00	
5. Trade Warranties/Claims	-		-	
6. Others (Specify)	-	4,19,501.00	-	7,70,168.00
TOTAL (B)		***4,19,501.00***		***7,70,168.00***
TOTAL (A+B)		**2,84,85,488.00**		**1,61,38,650.00**

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS F.Y. 2020-21

AMOUNT (RS.)

DESCRIPTION	RATE OF DEPRECIATION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/ Valuation As At Beginning of The Year	Addition (upto 30.09.2020)	Addition (after 30.09.2020)	Deductions During The Year	Cost/ Valuation At The Year-End	As At The Beginning of The Year	DEP. During The Year	Deductions During The year	Total Up To The Year-End	As At The Current Year-End	As At The Previous Year-End
A. FIXED ASSETS :												
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	15%	9,899.08	-	-		9,899.08	3,727.45	926.00		4,653.44	**5,245.65**	**6,171.65**
2. FURNITURES, FIXTURES	10%	9,00,988.82		1,22,536.00		10,23,524.82	5,08,358.53	45,390.00		5,53,748.53	**4,69,776.28**	**3,92,630.28**
3. OFFICE EQUIPMENT	15%	8,32,644.97		89,405.00		9,22,049.97	6,55,166.95	33,327.00		6,88,493.94	**2,33,556.02**	**1,77,478.02**
4. COMPUTER/PERIPHERALS	40%	3,53,769.00		1,19,613.00		4,73,382.00	3,51,627.13	24,780.00		3,76,407.13	**96,975.92**	**2,142.92**
5. LIBRARY BOOKS	40%	3,95,609.09	2,668.00	-		3,98,277.09	3,85,414.46	5,145.00		3,90,559.46	**7,717.63**	**10,194.63**
6. AIR COOLING APPLIANCES	15%	2,12,706.40		-		2,12,706.40	1,07,900.40	15,721.00		1,23,621.40	**89,085.00**	**1,04,806.00**
7. ELECTRONIC EQUIPMENT	15%	16,499.00	-	-		16,499.00	8,532.37	1,195.00		9,727.37	**6,771.62**	**7,966.62**
TOTAL OF CURRENT YEAR		**27,22,116.36**	**2,668.00**	**3,31,554.00**	**0.00**	**30,56,338.36**	**20,20,727.28**	**1,26,484.00**	**0.00**	**21,47,211.28**	**909,128.00**	**7,01,390.00**
PREVIOUS YEAR		**30,19,763.44**	**14,000.00**	**0.00**	**3,11,647.08**	**27,22,116.36**	**21,42,732.58**	**1,04,160.00**	**2,26,165.74**	**20,20,727.28**	**7,01,390.00**	**8,77,031.00**
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS												
TOTAL		**27,22,116.36**	**2,668.00**	**3,31,554.00**	**-**	**30,56,338.36**	**20,20,727.28**	**1,26,484.00**		**21,47,211.28**	**9,09,128.00**	**7,01,390.00**

Detail of Addition of Fixed asset

	Date of Purchase	Put to use	Amount (Rs.)
Furniture & Fixtures	**27.03.2021**	**27.03.2021**	**1,22,536.00**
Office Equipments	**28.10.2020**	**28.10.2020**	**33,990.00**
	18.12.2020	**18.12.2020**	**53,165.00**
	18.01.2021	**18.01.2021**	**2,250.00**
Computer & Peripheral	**27.03.2021**	**27.03.2021**	**1,19,613.00**
Library Books	**28.07.2020**	**28.07.2020**	**2668.00**

SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**Current Year**		**Previous Year**	
1. In Government Securities	-		-	
2. Other Approved Securities	-		-	
3. Shares	-		-	
4. Debentures and Bonds	-		-	
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-		-	
6. Others (To be specified)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS	**Current Year**		**Previous Year**	
1. Fixed Deposit				
- Contributory Provident Fund	76,38,033.00		62,02,186.00	
- Corpus Fund (Retirement)	56,41,877.00	1,32,79,910.00	44,53,718.00	1,06,55,904.00
TOTAL		**1,32,79,910.00**		**1,06,55,904.00**

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	**Current Year**		**Previous Year**	
A. CURRENT ASSETS:				
1. Inventories:				
- Ayurvedic Books Published	5,26,993.00	5,26,993.00	2,03,594.00	2,03,594.00
2. Cash Balances in Hand (Including Cheques/Drafts and Imprest)	-		-	
3. Bank Balances:				
- GIA General	37,29,292.98		75,73,432.76	
- GIA Salary	6,84,821.04		23,90,685.12	
- Contributory Provident Fund	10,64,651.00		7,80,799.00	
- Corpus Fund	41,109.00		7,71,100.00	
- GIA General (Swachh Bharat Abhiyan)	1,83,601.75		2,61,881.99	
- Other Charges- ROTP	3,23,658.76		1,13,232.84	
- GIA CME	6,00,000.00		6,00,000.00	
- GIA Capital	10,00,000.00		-	
- GIA CME RSBK	45,67,000.00			
- GIA CSSS	37,00,000.00			
- ICICI GIA General	83,59,010.00	2,42,53,145.00		1,24,91,132.00
TOTAL (A)		**2,47,80,138.00**		**1,26,94,726.00**

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Advances & other amounts recoverable in Cash/Kind				
- Amt. recoverable from Sh. M.R. Giri	44,390.00		44,390.00	
- Motorcycle Advance	57,532.00		55,003.00	
- Contingent Advance	48,990.00		11,89,129.00	
- Security Deposit – Vigyan Bhawan	75,276.00		-	
- Advance to Macao	-	2,26,188.00	41,990.00	13,30,512.00
- Festival Advance				
- As per last year Balance Sheet	450.00		450.00	
- Less : Recovered during the year	-	450.00	-	450.00
TOTAL (B)		**2,26,638.00**		**13,30,962.00**
TOTAL (A+B)		**2,50,06,766.00**		**1,40,25,688.00**

Schedules To Profit & Loss Account

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES	**Current Year**		**Previous Year**	
Sales	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES	**Current Year**		**Previous Year**	
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)				
1. Central Government-				
GIA GENERAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	-		2,26,46,015.00	
Add : Current year Internal Generations	1,26,484.00		1,34,485.00	
Add : Grant-In-Aid Received from Govt.	8,16,96,100.00		5,71,54,000.00	
Total Grant-In-Aid	8,18,22,584.00		7,99,34,500.00	
Less : Grant Capitalised	3,34,222.00		14,000.00	
	8,14,88,362.00		7,99,20,500.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	11,79,575.00	8,03,08,787.00	0.00	79,920,500.00
GIA SALARY				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	23,90,685.22		12,37,699.46	
Add : Current year Interest on Corpus	-		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	76,09,000.00		86,12,000.00	
Total Grant-In-Aid	99,99,685.22		98,49,699.46	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	6,84,820.00	93,14,865.00	23,90,684.46	74,59,015.00
GIA CME				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	6,00,000.00		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		6,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	6,00,000.00		6,00,000.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	6,00,000.00	-	6,00,000.00	-

GIA GENERAL - SWACHH BHARAT ABHIYAN				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	2,61,882.00		1,12,102.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		2,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	2,61,882.00		3,12,102.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	1,83,602.00	78,280.00	2,61,882.00	50,220.00
GIA CAPITAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	-		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	10,00,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	10,00,000.00		-	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	10,00,000.00		0	
GIA CME – RSBK				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	-		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	45,67,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	45,67,000.00		-	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	45,67,000.00		0	
GIA Other Grant - CSSS				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	-		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	37,00,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	37,00,000.00		-	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	37,00,000.00		0	
TOTAL		**8,97,01,932.00**		**8,74,29,735.00**

SCHEDULE 14- FEES/SUBSCRIPTION	**Current Year**		**Previous Year**	
1. Application Fees *				
(Received from candidates applied for courses)	2,37,011.00	2,37,011.00	3,17,882.27	3,17,882.00
TOTAL		**2,37,011.00**		**3,17,882.00**

* Out of total income of application fees of Rs. 13,82,011/-, Rs. 11,45,000/- to be refunded to Ministry of AYUSH towards impact of 7th CPC.

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS	**Current Year**		**Previous Year**	
(Income on Invest. from Earmarked/ Endowment Funds Transferred to Funds)				
1. Interest	-		-	
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2. Dividends:	-		-	
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				

3. Rents	-		-	
4. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION	**Current Year**		**Previous Year**	
1. Income from Royalty	-		-	
2. Income from Publications	4,52,312.00		7,54,015.00	
3. Others (Specify)	20,277.00	4,72,589.00	4,338.00	7,58,353.00
TOTAL		**4,72,589.00**		**7,58,353.00**

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	**Current Year**		**Previous Year**	
1. On Savings Accounts and Fixed Deposits:				
a) With Scheduled Banks-State Bank of India **	-		-	
b) Interest on Corpus Fixed Deposit	-	-	-	-
2. On Other Receivables:				
a) Stipend	3,588.00		1,910.00	
b) Motor Cycle Advance	2,529.00	6,117.00	2,529.00	4,439.00
TOTAL		**6,117.00**		**4,439.00**

** Interest earned on GIA General of Rs. 5,46,048/- considered as liability towards Ministry of AYUSH under Schedule 7, Current liabilities.

SCHEDULE 18- OTHER INCOME	**Current Year**		**Previous Year**	
a) Recovery of Salary/Stipend	2,06,625.00		-	
b) Miscellaneous Income	12,515.00	2,19,140.00	772.00	772.00
TOTAL		**2,19,140.00**		**772.00**

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS	**Current Year**		**Previous Year**	
a) Closing Stock of Ayurvedic Books published	5,26,993.00		2,03,594.00	
b) Less: Opening Stock of Ayurvedic Books Published	2,03,594.00	3,23,399.00	1,45,109.00	58,485.00
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]		**3,23,399.00**		**58,485.00**

SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES	**Current Year**		**Previous Year**	
GIA General				
a) Wages	22,73,038.00		21,55,317.00	
b) Scholarship/Stipend				
- Stipend to Shishyas	3,86,57,183.00		4,26,17,042.00	
c) Professional Services				
- Honorarium to Gurus	1,90,97,322.00		2,08,18,922.00	
- Auditors Remuneration/Professional Fees	2,66,080.00	6,02,93,623.00	2,87,730.00	6,58,79,011.00

GIA Salary				
a) Salary				
- Salary Expenses	92,22,066.08		66,87,713.68	
- Other Allowances	80,000.00		1,133.00	
- Employees' Retirement and Terminal Benefits	12,798.00	93,14,865.00	7,70,168.00	74,59,015.00
TOTAL		**6,96,08,488.00**		**7,33,38,026.00**
SCHEDULE 21 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	**Current Year**		**Previous Year**	
GIA General				
a) Office Expenses				
- Bank Charges	4,888.78		4,370.10	
- Misc. Expenses	3,70,438.00		1,30,894.00	
- Medical Exp.	62,517.00		36,585.00	
- Repairs and Maintenance	2,66,436.00		64,027.00	
- Newspaper & Periodicals	25,105.00		8,052.00	
- Electricity and Power	1,86,300.00		2,66,870.00	
- Water Charges	26,268.00		39,533.00	
- Postage charges.	26,881.00		-	
- Telephone and Communication charges.	43,117.00		40,612.00	
- Rent, Rates and Taxes	38,14,147.00		9,98,421.00	
b) Publications				
- Discount Allowed	1,31,968.00		2,40,798.00	
- Printing & Stationery	9,30,702.00		5,09,751.00	
c) Domestic Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	17,16,760.00		21,58,713.00	
d) Foreign Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	-		4,24,330.00	
e) Other Administration Expenses				
- Thesis & Exam. Remun./ S.C./ Honorarium/Sitting Fees	2,84,613.00		2,80,040.00	
- National Ayurveda Day	-		17,12,782.00	
- Accreditation	16,11,231.00		6,15,834.00	
- Interactive Training Programme	-		4,40,774.00	
- Training Programme - Pune	-		4,72,043.00	
- Training Programme - Ahemdabad	-		3,82,704.00	
- Information Technology	3,65,932.00		14,36,966.00	
- Convocation Exp./Conference Exp.	32,84,117.00		17,93,645.00	
- Loss on sale of fixed assets	-		56,481.35	
- Training Programm	2,62,500.00		-	
- Fellowship Programme (Super Speciality)	45,00,000.00		-	
f) Advertisement & Publicity				
- Advertisement Exp.	19,74,759.00	1,98,88,680.00	18,23,104.00	1,39,37,329.00
GIA General- Swachta Action Plan				
- Swachta Action Plan	78,280.24	78,280.00	50,220.16	50,220.00
TOTAL		**1,99,66,960.00**		**1,39,87,549.00**

SCHEDULE 22 :EXPENDITURE ON GRANTS,SUBSIDIES ETC.	Current Year		Previous Year	
a) Grants Given to Institutions/ Organisations	-		-	
b) Subsidies Given to Institutions/ Organisations	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 23 : INTEREST	Current Year		Previous Year	
a) On Fixed Loans	-		-	
b) On other Loans (including Bank Charges)	-		-	
TOTAL		-		-

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

AMOUNT (RS.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
Opening Balance	-		**I. Expenses**	-	
SBI General	75,73,432.76	99,86,555.59	a) Establishment Expenses (Schedule 20)	6,96,08,487.08	7,25,11,376.33
SBI Salary	7,71,100.00	13,24,004.80	b) Administrative Expenses (Schedule 21)	1,99,66,960.02	1,39,87,549.61
SBI General Swachh Bharat Abhiyan	23,90,685.12	1,12,102.15			
SBI Corpus	2,61,881.99	6,98,932.00	**II. Payments Made Against Funds For Various Projects**	-	-
SBI Other Charges	1,13,232.84	1,15,447.60	-	-	-
SBI CME	6,00,000.00	-	**III. Investments & Deposits Made**		
II. Grants Received	-	-	a) Out of Earmarked/Endowment funds	6,00,000.00	6,98,000.00
- From Min. of Health & Family Welfare	-	-	b) Security Deposit	75,276.00	
a) General	8,16,96,100.00	5,71,54,000.00	**IV. Expenditure on Fixed Assets/Capital WIP**		
b) Salary	76,09,000.00	86,12,000.00	a) Purchase of Fixed Assets	3,34,222.00	14,000.00
c) Swachh Bharat Abhiyan	-	2,00,000.00	b) Expenditure on Capital WIP	-	-
d) CME	-	6,00,000.00			

e) GIA Capital	10,00,000.00	-			
f) CME RSBK	45,67,000.00	-			
g) Other Grant – CCSS	37,00,000.00	-			
III. Income on Investments from			**V. Refund of Surplus Money/Loans**	-	-
a) Sale of Fixed assets	-	29,000.00			
			VI. Finance Charges (Interest)	-	-
IV. Interest Received					
a) Interest on Saving Bank A/c	6,92,162.00	5,46,048.00	**VII. Other Payments**		
b) Interest on Stipend recovered	3,588.00	1,910.00	a) Contingent & Other Advances	16,10,000.00	24,20,390.00
c) Interest on other Chargees CME	78,739.00		b) Other Charges head	20,03,313.08	20,02,214.76
			c) Saving Bank Interest Refunded to Ministry	5,46,048.00	13,61,633.00
V. Other Income			d) Advance to MACAO	-	41,990.00
a) Recovery of Salary/Stipend	2,06,625.00	-	e) Gratuity & Leave Encashment	1,29,991.00	-
b) Miscellaneous Income	12,515.00	772.00	f) TDS paid	34,77,009.00	-
c) Application Fees	13,82,011.00	3,17,882.27	**Closing Balances**	-	-
d) Sale of Books	4,52,312.00	7,54,015.00	SBI General	37,29,292.98	75,73,432.76
e) Postal Income	20,277.00	4,338.00	SBI Corpus	41,109.00	7,71,100.00
			SBI Salary	6,84,821.04	23,90,685.12
VI. Other Receipts			SBI General Swachh Bharat Abhiyan	1,83,601.75	2,61,881.99
a) Earnest Money	5,000.00	-	SBI Other Charges	3,23,658.76	1,13,232.84
b) Contingent & Other Advances	27,50,139.00	2,12,69,262.00	SBI CME	6,00,000.00	6,00,000.00
c) Other Charges head	21,35,000.00	20,00,000.00	SBI GIA Capital	10,00,000.00	-
d) Advance from NICSI	-	10,21,217.00	SBI CME RSBK	45,67,000.00	-
e) Advance recovered from MACAO	41,990.00	-	SBI CSSS	37,00,000.00	-
f) TDS paid	34,77,009.00	-	ICICI General	83,59,010.00	-
TOTAL	**12,15,39,799.71**	**10,47,47,486.41**	**TOTAL**	**12,15,39,799.71**	**10,47,47,486.41**

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Place : New Delhi
Date : 2-06-2021

DIRECTOR

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2021

AMOUNT (RS.)

Liabilities		Amount	Assets		Amount
CPF Subscription (Employees)	-		**Balance with Bank**	-	
As per last year	39,56,534.00		In Fixed Deposit		76,38,033.00
Add: During the year	8,35,135.00		In Savings Account		10,64,651.00
Less: Withdrawal	40,839.00				
Add: Interest on Employees Subs.	3,37,654.00	50,88,484.00			
CPF Contribution (Employers)	-				
As per last year	30,26,451.00				
Add: During the year	3,85,210.00				
Less: Withdrawal	29,002.00				
Add: Interest on Employers Contribution	2,31,541.00	36,14,200.00			
Total		**87,02,684.00**	**Total**		**87,02,684.00**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

Expenditure		Amount	Income		Amount
Interest on Employees Subscription	3,37,654.00		Interest from Bank		20,843.00
Interest on Employers Contribution	2,31,541.00	5,69,195.00	Interest from FD		1,35,847.00
Employers Contribution		3,85,210.00	Contributed by RAV		7,97,715.00
Total		**9,54,405.00**	**Total**		**9,54,405.00**

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

Receipts		Amount	Payments		Amount
Opening Balances					
CPF Subscription	39,56,534.00		Employee Subscription – Mr. Adit		40,839.00
CPF Contribution	30,26,451.00	69,82,985.00	Employee Contribution – Mr. Adit		29,002.00
Employees Subscription/Refund	8,35,135.00		**Closing Balance**		
Employer Contribution	3,85,210.00	12,20,345.00			
			CPF Subscription	50,88,484.00	
Interest on Employees Subscription	3,37,654.00		CPF Contribution	36,14,200.00	87,02,684.00
Interest on Employer Contribution	2,31,541.00	5,69,195.00			
Total		**87,72,525.00**	**Total**		**87,72,525.00**

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Place : New Delhi **DIRECTOR**

Date : 2-06-2021

SCHEDULE-24 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The financial statement have been prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. Inventory Valuation

Inventories of Books are valued at cost.

3. Fixed Assets

i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of taxes, freight incidental and direct expenses related to acquisition.

ii) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalised at value stated by corresponding credit to General Fund.

3. Government Grants

Government Grant in respect of purchase of fixed assets are treated as Grant Capitalized.

5. Revenue Recognition

i) Sale of books includes trade discount and rebate.

ii) Interest accrued on FDR has not been account for in books of accounts as the same is considered on maturity.

6. **Depreciation**

Depreciation on fixed assets is calculated as per rates prescribed by Income Tax Act.

For RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 2-06-2021

SCHEDULE-25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. Current Liabilities

Unutilised Grants for GIA General, GIA SAP, GIA Salaries and GIA CME has been shown under Current Liabilities.

2. Current Assets, Loans and Advances

The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.

4. Current Year Figures have been rounded off nearest to the rupees and Previous Year Figures have been taken as on 31.03.2021 so as to meet consistency.

5. Schedules 1 to 25 have been annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2021 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

6. Recognition of fixed assets method has been changed from WDV method to Gross Block since Financial year 2011-12 and WDV as on 31.03.2010(before depreciation) considered as Gross block in Financial year 2011-12

7. Simple interest @ 10% is charged on motor cycle advance since 2007-08. Advance consists of principal amount of Rs. 25292/- plus accrued interest of Rs. 32240/- thereon.

8. Loans & advances under the head current assets of Rs. 2,26,638/- is still recoverable.

9. On account of Impact of 7th CPC, Rs. 11,45,000/- to be refunded to Ministry of AYUSH from internal generations(Application Fees)

10. Internal Generations (Application Fees) of Rs. 1,26,484/- has been transferred to meet current year expenditures.

11. During the year Interest earned on Corpus FD is Rs. 5,88,159/-. After adjusting the current year provision of Rs. 4,19,501/- remaining balance of Rs. 1,68,658/- shown under current liabilities - "Sch No. 7".

12. Revenue(Grant) is recognized on the basis of actual grant utilized.

For RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 2-06-2021